

**मास्टर परिपत्र
जमा खाता रखना**

विषय सूची

1.	भूमिका	1
2.	जमा खाता खोलना	1
2.1	नए जमाकर्ताओं का परिचय	1
2.2	खाता धारकों के फोटोग्राफ	2
2.3	खाता धारकों का पता	3
2.4	अन्य सुरक्षा उपाय	3
2.5	एनआरओ /एनआरई खाते खोलना	7
3.	कुछ विशेष प्रकार के जमा खाता खोलने पर प्रतिबंध	8
3.1	निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं	8
3.2	नाबालिगों के नाम से खाता खोलना	9
3.3	अभिभावक के रूप में माँ के साथ बच्चे का खाता	9
4.	नामांकन सुविधाएं	10
4.1	परिचालनात्मक अन्देश	10
4.2	अधिनियम प्रावधान	11
4.3	नियम	11
4.4	नामांकन का अभिलेख	13
4.5	सुरक्षित अभिरक्षा में रखे समानों के संबंध में नामांकन सुविधा	14
4.6	सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन	15
5.	खातों का परिचालन	17
5.1	संयुक्त खाते	17
5.2	नए खातों में परिचालनों की निगरानी	19
5.3	सभी खातों के परिचालनों की निगरानी करना	19
5.4	चेक बुक जारी करना	20
5.5	बैंको में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते	21
5.6	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014	23
5.7	वृद्ध/रुग्ण /अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन	24
5.8	विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति	25

6.	दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान	27
6.1	जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते	28
6.3	जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते	29
6.4	मीयादी जमा खाते का समय-पूर्व समापन	29
6.5	दिवंगत जमाकर्ता के नाम आनेवाले आगम का निपटान	30
6.6	सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुओं तक पहुंच	30
6.7	दावों के निपटान के लिए समयसीमा	30
6.8	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधान	31
6.9	ग्राहकों को सलाह तथा प्रचार	31
7.	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान	31
8	जमा संग्रहण	32
8.1	जमा संग्रह एजेंट	32
8.2	बैंक गारंटियों सहित अनिगमितनिकायों /प्राइवेट लिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना	32
8.3	निजी संगठनों द्वारा शुरू की गई जमा संग्रह योजनाएं	32
9	बैंकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय	33
9.1	सुरक्षित जमा लॉकर	33
9.2	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय	33
10	"अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक	33
अनुबंध I	संयुक्त खाते - 'कोई एक या जीवित नामिति', 'उत्तरवर्ती या जीवित नामिति' पूर्ववर्ती या जीवित नामिति', आदि	39
अनुबंध II	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014	42
अनुबंध II (ए)	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014 संबंधी दिशा-निर्देश	51
परिशिष्ट	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	61

मास्टर परिपत्र
जमा खाता रखना

1. भूमिका

किसी बैंक में जमाराशियां स्वीकार करना और जमा खाता रखना मुख्य कार्य होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में दी गई परिभाषा के अनुसार "बैंकिंग" शब्द की मूलभूत वैधानिक व्याख्या का अर्थ ऋण देने या निवेश करने के प्रयोजन से जनता से जमा राशियां स्वीकार करना बताया गया है जो मांग पर या अन्यथा चुकौती योग्य तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा आहरणीय हो। इस प्रकार जमा राशियां किसी बैंक का प्रधान संसाधन और अवलंब होती हैं और बैंक का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त जमाराशियाँ जुटाना है। जमा खाता खोलने तथा उन्हें संचालित/उनकी निगरानी करने के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (युसीबी) को समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों, दिशा-निर्देशों इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है।

2. जमा खाता खोलना

बैंकों में बहुत सारी धोखाधड़ियां मुख्य रूप से अवास्तविक नामों से खाते खोलकर, चेकों से अनियमित भुगतान, खातों में हेर-फेर तथा खातों में अनधिकृत परिचालनों के जरिए की जाती हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि खाता खोलना किसी व्यक्ति के लिए बैंक का ग्राहक बन जाने के लिए प्रथम प्रवेश बिंदु है, खाता खोलने तथा खातों में परिचालनों के प्रति अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 जिससे परक्राम्य लिखतों के भुगतान तथा संग्रह नियंत्रित होते हैं तथा जो जारी कर्ताओं/आहरणकर्ताओं, आदाताओं, पृष्ठांकितियों, आहरणकर्ताओं, संग्राहक बैंकों तथा आदाता/आहरणकर्ता बैंकों को कुछ अधिकार दायित्व (आब्लीगेसन्स) तथा सुरक्षाएं देता है, के अन्तर्गत वैधानिक सुरक्षा भी तभी उपलब्ध होगी यदि आदेश पर देय किसी चेक/ड्राफ्ट का भुगतान बैंक उचित तरीके से करता है या स्वीकार करता है। किसी परक्राम्य लिखत के भुगतान या संग्रह को उचित तरीके से हुआ तभी माना जाता है यदि बैंक सदिच्छा से और बिना किसी लापरवाही से काम करता है और ऐसा वह ग्राहक के हित में करता है।

2.1 खाते खोलने के लिए परिचय अनिवार्य नहीं –

जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम/ नियमावली में निर्धारित, दस्तावेज के आधार पर पहचान का सत्यापन करने की प्रणाली लागू करने से पहले, नए खाते खोलने के लिए बैंक के किसी मौजूदा ग्राहक द्वारा परिचय प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता था। कई बैंकों में, खाते खोलने के लिए परिचय प्राप्त करना अब भी ग्राहक स्वीकार करने की नीति का अनिवार्य हिस्सा है भले ही हमारे अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित पहचान एवं पते के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हों। इससे खाता खोलने में भावी ग्राहकों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनके लिए किसी मौजूदा ग्राहक से परिचय प्राप्त करना दुरूह होता है।

चूंकि पीएमएल अधिनियम एवं नियमावली तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा केवाईसी अनुदेशों के अंतर्गत खाते खोलने के लिए परिचय आवश्यक नहीं है, बैंकों को ग्राहकों का खाता खोलने के लिए परिचय का आग्रह नहीं करना चाहिए।

2.2 खाता धारकों के फोटोग्राफ

2.2.1 अनिवार्य रूप से फोटोग्राफ प्राप्त करना

(i) बैंकों को सभी नए खाते खोलते समय जमाकर्ताओं/खाता धारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने चाहिए जो खातों का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। ग्राहकों के फोटो नवीनतम होने चाहिए तथा खाता खोलने के लिए फार्म पर चिपकाए जाने वाले फोटोग्राफ की कीमत का वहन ग्राहक करें।

(ii) जमा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फोटोग्राफ का केवल एक सेट प्राप्त करना चाहिए न कि अलग - अलग फोटोग्राफ। विभिन्न प्रकार के जमा खातों के लिए आवेदन पत्रों का संदर्भ उचित प्रकार से रखना चाहिए।

(iii) बचत बैंक खाता तथा चालू खातों जैसे जमा खातों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जाने चाहिए। सावधि/आवर्ती, संचयी आदि जैसे अन्य जमा खातों के मामले में सिर्फ बच्चे के नाम से जमा राशियों को छोड़कर जहां अभिभावकों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जा सकते हैं, सभी जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ जिनके नाम से जमा प्राप्ति होती है, प्राप्त किए जाएं। अवयस्क ग्राहकों के मामले में उनके वयस्क होने पर नए फोटोग्राफ प्राप्त कर लेना चाहिए।

(iv) बैंकों को पर्दानशीन महिलाओं के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए।

(v) बैंकों को एन आर ई, एन आर ओ, एफ सी एन आर खाता धारकों के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए।

खातों के परिचालन के लिए जब तक विशेष परिस्थितियों में जरूरी न हो तब तक सामान्यतः खाता धारक की उपस्थिति का आग्रह नहीं करना चाहिए। फोटोग्राफ नमूने हस्ताक्षर के विकल्प नहीं हो सकते।

2.2.2 अपवाद

(i) बैंक, स्थानीय प्राधिकारी तथा सरकारी विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी निकायों को छोड़कर) को फोटोग्राफ की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है।

(ii) उधार खातों जैसे नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट खातों आदि के लिए फोटोग्राफ लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) बैंक स्टाफ सदस्यों (एकल/संयुक्त) खातों के मामले में भी फोटोग्राफ के लिए आग्रह न करें।

2.3 खाताधारकों का पता

बैंकों के लिए यह उचित नहीं है कि वे असावधानी से भी कर अपवंचन के लिए बे-गैरत लोगों द्वारा खुद का इस्तेमाल होने दें। इसलिए, बैंकों को जमाकर्ताओं का पूरा तथा संपूर्ण पता प्राप्त करना चाहिए तथा इसे बहियों तथा खाता खोलने वाले फार्म में दर्ज करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के पक्षकारों की खोज की जा सके। सभी मामलों में खाता - धारक के पते की स्वतंत्र पुष्टि की जानी चाहिए।

2.4 अन्य सुरक्षा उपाय

2.4.1 पीएन/जी आई आर संख्या

बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 50, 000/- रु. या उससे अधिक की प्रारंभिक जमा से खाता खोलने वाले जमाकर्ता से पीएन/जी आई आर नंबर प्राप्त करें।

2.4.2 प्राधिकृत करना

नए खाते खोलने के लिए केवल शाखा प्रबंधक या बड़ी शाखाओं पर संबंधित जमा खाता विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

2.4.3 औपचारिकताएं पूरी करना

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक परिसर में पूरी की जाती हैं तथा कार्रवाई के लिए कोई दस्तावेज बाहर नहीं ले जाए। जहां उपर्युक्त नियम का अपवाद एकदम आवश्यक हो वहां बैंक खातों में कोई परिचालन किए जाने से पहले आवश्यक जाँच हेतु समुचित रूप से प्रारूपित जाँच पत्र पर हस्ताक्षरित फोटोग्राफ प्राप्त करके, पंजीकृत पावती द्वारा अग्रेषित करके, खाता खोलने वाले फार्म की प्रति तथा ग्राहकों को सहवर्ती अनुदेश प्रेषित करके, ब्योरों का सत्यापन करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने जैसी सावधानी बरतें ।

2.4.4 चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता

बैंकों में बढ़ रही गैर-निष्पादक आस्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे कम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि ऋण अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। इसलिए आवश्यक है कि बैंक खाताधारक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वे किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं या वे एक ऐसा प्रमाणपत्र दें जिसमें यह ब्यौरा दिया गया कि अन्य बैंक (बैंकों) से उन्होंने कितना ऋण लिया है। खाता खोलने वाली बैंक ये सारे ब्यौरे प्राप्त करे और ऋण प्रदान करने वाली संबंधित बैंक से इसकी पुष्टि भी करे। खाता खोलने वाली बैंक उस बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करे।

तथापि, यदि निवर्तमान बैंक से 15 दिन की निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस ग्राहक का खाता खोला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, उन संभाव्य ग्राहकों के बारे में भी पर्याप्त सावधानी बरती जाए जो कारपोरेट ग्राहक हों या जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ उठाते हों। इस स्थिति में बैंक, संघ के अग्रणी (यदि संबंधित बैंक संघ के सदस्य हों तो) को और यदि इस सुविधा का लाभ बहु बैंक सुविधा के रूप में लिया जा रहा हो तो संबंधित बैंको को सूचित करे।

बैंको को यह भी सूचित किया जाता है कि इन मामलों में जहां एक ओर पर्याप्त सावधानी बरती जाए वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहक संतुष्टि का उद्देश्य भी पूरा हो और इस बारे में अन्य बैंक से प्राप्त होने वाले संदर्भों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

2.4.5 स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते

स्वामित्व प्रतिष्ठान के मामले में खाता खोलते समय बैंक मालिक की व्यक्तिगत पहचान, स्वामित्व प्रतिष्ठान की पहचान का सत्यापन करे। तदनुसार बैंक निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग करे तथा उनका सत्यापन करें:

- (i) पहचान तथा मालिक के पते का प्रमाण जैसे, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड आदि - उक्त में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त करे।
- (ii) नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान की गतिविधियां तथा पता, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), शॉप और एस्टेबलिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्रधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, सीएसटी / विएटी प्रमाणपत्र, पंजीकृत प्रधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी

सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, अन्न और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यावसायिक प्रमाणपत्र इनमें से कोई दो दस्तावेज स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम होने चाहिए। इन दस्तावेजों के अलावा, विक्रि कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज भी स्वामित्व प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा कार्य के प्रमाण के सत्यापन के लिए विचार में ले।

(iii) 11 मई 2012 से स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात की निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित कागजात शामिल करने का निर्णय लिया गया है:

(ए) एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत फर्म की आय दर्शाई गई हो।

(बी) स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल।

2.4.6 बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते

हमारे यह ध्यान में आया है कि उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं के लिए कार्यरत बहुस्तरीय मार्केटींग एजन्सीज (एमएलएम) अधिक ब्याज का वादा करते हुए जनता से बहुत बड़ी मात्रा में जमाराशि संघटीत कर रहे हैं। इन फर्मों के प्रतिनिधियों ने देशभर विविध स्थानों पर स्थित विभिन्न बैंकों की शाखाओं में खाते खोले हैं तथा इसका उपयोग अवैध या जोखिम भरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। हमारे [16 सितंबर 2009 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी .पीसीबी.परि.सं.9 /12.05.001/2009-10](#) में जैसा कि बैंकों को सूचित किया गया है ऐसे खाते खालते समय उचित सावधानी बरते / ऐसे खातों की समीक्षा करे तथा केवायसी / एएमएल दिशानिर्देशों का कडाई से अनुपालन करे।

2.4.7 वित्तीय समावेशन

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें जिसमें उनके सभी ग्राहकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी:

(i) 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' को सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए।

(ii) इस खाते के लिए किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं रहेगी।

(iii) इस खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक की शाखा तथा एटीएमों में नकदी जमा व आहरण; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों अथवा केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति /जमा, शामिल होंगे;

(vi) यद्यपि एक माह के दौरान ग्राहक द्वारा जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तथापि खाताधारकों को एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति होगी; और

(v) एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा होगी;

उक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' का परिचालन न होने पर या अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' बैंक खाते खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (एएमएल) पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगा। यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को 'छोटा खाता' भी माना जाएगा और उस पर 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व' पर दिनांक [02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.\(पीसीबी\).एमसी.सं. 16/12.05.001/2012-13](#) के पैरा 2.6(iii) में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो उसे 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा।

मौजूदा बुनियादी बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खातों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खातों' में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अपूर्ण होगा यदि बैंक उनकी पहुंच देश के दूर दराज तक नहीं ले जाते हैं। बाजवी आधारभूत सुविधा न्यूनतम परिचालन लागत तथा उचित तकनीकी के प्रयोग से यह साध्य करना होगा। बैंको को अपनी परिचालन लागत कम करने के लिए स्मॉल टिकट लेनदेन व्यवहार्य बनाने के लिए यह उपयोगी साबित होगा। इसलिए बैंकों से आग्रह किया जाता है कि वे यथोचित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करें। इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि निकाले गए समाधान अत्यंत सुरक्षित हैं, उनकी लेखापरीक्षा की जा सकती है, वे व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हैं ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों के बीच आपस में अंतर-परिचालन किया जा सके।

बैंकों तथा जनता से इस संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के मद्देनजर उक्त विषय पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' ("एफएक्यू") की एक सूची आरबीआई की वेबसाइट में "एफएक्यू" टैब पर उपलब्ध कराया गया है।

2.5 एनआरओ / एनआरई खाते खोलना

2.5.1 शहरी सहकारी बैंकों के पुनःवर्गीकरण के फलस्वरूप उभरे एनआरओ खाते रख सकते हैं जैसे कि, विद्यमान निवासी खातेदार अनिवासी हो जाने पर तथा केवल ऐसे खातों में ही, आवधिक रूप से ब्याज जमा करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंको को नये एनआरओ खाते खोलने की अनुमति नहीं है। (प्राधिकृत व्यापरी संवर्ग। को छोड़कर)

2.5.2 सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि भारत में अध्यापन कर रहे विदेशी छात्र/छात्राओं जो खाता खोलने के लिए तत्काल पते का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, के मामले में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें :

(क) शहरी सहकारी बैंक किसी विदेशी छात्र का एनआरओ खाता उसके पासपोर्ट(उचित वीसा और प्रवासीय परांकन सहित) के आधार पर खोलें जिसमें पहचान का प्रमाण और अपने देश में स्थित घर के पते का प्रमाण शामिल हों। इसके साथ संबंधित छात्र का फोटोग्राफ (छायाचित्र) और शैक्षणिक संस्थान से भर्ती संबंधी प्रस्ताव पत्र भी प्राप्त करें।

(ख) खाता खोलने के 30 दिन की अवधि के अंदर विदेशी छात्र द्वारा किराये के करार के रूप में स्थानीय पते का प्रमाण या शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिए गए निवास के पते को एक वैध स्थानीय पते के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां पर उसका खाता खोला गया है। शहरी सहकारी बैंक मकान-मालिकों से यह आग्रह न करें कि वे शाखा में आकर किराया संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करें और बैंक स्थानीय पते के सत्यापन के लिए वैकल्पिक माध्यम अपनाएं।

(ग) 30 दिन की अवधि के दौरान जब तक पते का सत्यापन न किया जाता हो, तब तक खाता, इस शर्त पर परिचालित किया जाएगा कि विदेशी प्रेषण 1000.00 यूएसडी से अधिक न हो और ₹50,000.00 की उच्चतम सीमा तक का मासिक आहरण हो।

(घ) वर्तमान पता प्रस्तुत करने के बाद खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा तथा विदेशी विनिमय विभाग द्वारा जारी किया गया अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) खाता से संबंधित मास्टर परिपत्र के अनुसार और 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना 5/2000 आरबी की अनुसूची 3 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए खाते का परिचालन किया जाएगा।

(ड.) पाकिस्तानी राष्ट्रियता वाले छात्र/छात्राओं को खाता खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

2.5.3 राज्य में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने पर्यवेक्षी तथा नियंत्रक समन्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता किया है तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जो निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करते हैं एनआरई खाते रखने के प्राधिकार के लिए पात्र हैं ।

- (i) 25 करोड़ का न्यूनतम नेटवर्थ
- (ii) सीआरएआर 9% से कम न हो
- (iii) निवल अनर्जक आस्तियां 10% से कम
- (iv) सीआरआर / एसएलआर का अनुपालन
- (v) बिना किसी संचित हानि के पिछले तीन वर्षों का निवल लाभ

- (vi) सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
- (vii) केवाईसी / एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों का संतोषजनक अनुपालन
- (viii) बोर्ड में कम से कम दो व्यावसायिक अर्हता वाले निदेशकों का समावेश

3 कुछ विशेष प्रकार के जमा खाते खोलने पर प्रतिबंध

3.1 निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- (i) 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरुद्धता अवधि;
- (ii) निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;
- (iii) इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुरूप नहीं हैं;
- (iv) कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के अधीन आंशिक रूप से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पहले जमाराशियों पर ब्याज की दरों, मीयादी जमाराशियों के समय पूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण / अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत दंड भी लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा प्रवर्तित निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली विशेष योजनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं। अतः जिन बैंकों ने ऐसी जमायोजनाएं प्रवर्तित की हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजें।

3.2 नाबालिगों के नाम से खाता खोलना

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा बैंकों के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- (i) किसी भी आयु के नाबालिग द्वारा उसके नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से बचत/सावधि/आवर्ती बैंक खाता खोला जा सकता है।
- (ii). 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नाबालिग, यदि चाहें तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालन करने की अनुमति दी जाए। तथापि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग की आयु के अनुसार उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से परिचालन की राशि की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार यह भी तय कर सकते हैं कि नाबालिगों द्वारा खाते खोलने के लिए न्यूनतम कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं।

(iii) बालिग होने पर पूर्व नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाते का परिचालन नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता हो, तो नए सिरे से पूर्व नाबालिग के परिचालन संबंधी अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सभी परिचालनगत प्रयोजनों से अभिलेख में रखे जाने चाहिए।

(iv) शहरी सहकारी बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/ डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे।

3.3 अभिभावक के रूप में माता के साथ बच्चे का खाता

3.3.1 सामान्यतया बैंक संरक्षक के रूप में माता के साथ बच्चे के नाम से खाता खोलना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट तथा, पिता के जीवित रहते संरक्षक के रूप में माता के प्रति उदासीनता का आधार हिंदू अल्पवयस्कता तथा संरक्षकत्व अधिनियम, 1956 की धारा 6 है जो यह निर्धारित करती है कि जीते जी केवल पिता ही किसी हिंदू बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक होता है।

3.3.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समस्या के कानूनी तथा व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा की है और यह महसूस किया है कि यदि माताओं को संरक्षक माने जाने की मांग का मूल विचार केवल सावधि, आवर्ती जमा तथा बचत बैंक खाता खोलने से जुड़ा है तो आवश्यकताएं पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैधानिक प्रावधानों के बावजूद बैंकों द्वारा इस प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं बशर्ते वे खातों में परिचालन की अनुमति देने में पर्याप्त सुरक्षाएं बरतते हों तथा यह सुनिश्चित करते हों कि संरक्षक के रूप में माताओं के साथ खोले गए बच्चों के खातों से अति आहरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन खातों में हमेशा जमा रहेगा। इस प्रकार, संविदा करने की बच्चे की क्षमता विवाद का विषय नहीं होगी।

3.3.3 इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में बड़ी धनराशि लगी हो तथा यदि बच्चा इतना बड़ा हो कि लेनदेन के प्रकार को समझता हो तो बैंक इस प्रकार के खाते से धन का भुगतान करने के लिए उसकी स्वीकृति भी ले सकते हैं।

4. नामांकन सुविधाएं

4.1 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) विभिन्न बैंकों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नामों पर विचार किए गए वगैर नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(ii) जब तक कि ग्राहक नामांकन करना चाहे (गैर अनुपालन की अटकलों की गुंजाइश के बिना इसे दर्ज किया जाए) नामांकन सभी मौजूदा और नए खातों के लिए एक नियम होना चाहिए।

(iii) पेंशन जमा करने के लिए खोले गए बचत बैंक खाता हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है। तथापि, सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से भिन्न हैं और पेंशन भोगी द्वारा पेंशन बकायों की प्राप्ति हेतु पेंशन बकाया (नामांकन) नियमों के अंतर्गत किया गया नामांकन पेंशन भोगियों के बैंकों के जमा खातों के प्रयोजन के लिए वैध नहीं होगा जिसके लिए यदि पेंशनभोगी नामांकन

सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो तो सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 के अनुसार एक पृथक नामांकन आवश्यक है।

(iv) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जमा खाता खोलने वाली व्यक्ति को नामांकन भरने के लिए आग्रह किया जाए। खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने के लिए मना करता है तो बैंक को उसे नामांकन सुविधा के लाभ स्पष्ट करने चाहिए। इसके बावजूद यदि व्यक्ति नामांकन करने के लिए इच्छुक नहीं है तो बैंक को जमाकर्ता से इस आशय का पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि जमाकर्ता इस प्रकार का पत्र देने से भी इन्कार करें तो खाता खोलने वाले फॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करना चाहिए और अन्य पात्रता पूर्ण करने पर खाता खोलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में केवल नामांकन करने से मना करने के आधार पर बैंक को खाता खोलने से इन्कार नहीं करना चाहिए। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के जमा खातों के संबंध में यही क्रियाविधि अपनायी जाए।

(v) हम यह स्पष्टीकृत करते हैं कि सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न फार्मों (बैंक जमा के लिए डी ए 1, डी ए 2 एवं डी ए 3 - सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान के लिए एस सी 1, एस सी 2, एस सी 3 - सुरक्षित जमा लॉकर के लिए एस एल 1, एस एल 1 ए , एस एल 2, एस एल 3 एवं एस एल 3 ए) के लिए खाताधारक के अंगूठे के निशान को ही दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमणित किया जाना है। खाताधारक के हस्ताक्षरों को दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमणित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर अनुदेशों का कडा अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.2 अधिनियम प्रावधान

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तक (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) निम्न लिखित मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती हैं :

- (i) ताकि कोई सहकारी बैंक किसी दिवंगत जमाकर्ता के नामिनी को जमाकर्ता के जमाखाते में पड़ी राशि का भुगतान कर सके।
- (ii) ताकि सहकारी बैंक किसी दिवंगत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से वस्तुओं की सूची बनाने के बाद उसके नामिनी को लौटा सके।
- (iii) ताकि बैंक सेफ्टी लॉकर किराए पर लेने वाले किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से सेफ्टी लॉकर की वस्तुओं की सूची बनाकर उन वस्तुओं को दिवंगत ग्राहक के नामिनी को दे सके।

4.3 नियम

सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1985, में निम्नलिखित का प्रावधान है:

- (i) जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं तथा सुरक्षा लाकरों में रखी गई वस्तुओं के लिए नामांकन फार्म
- (ii) नामांकन निरस्त करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए फार्म
- (iii) नामांकनों का पंजीयन तथा नामांकनों को निरस्त एवं उनमें परिवर्तन करना, तथा उपर्युक्त से संबंधित मामले।

जमा खातों से संबंधित नामांकन के नियम निम्नलिखित हैं :

(ए) किसी सहकारी बैंक द्वारा धारित एक या अधिक व्यक्तियों के नाम जमा के संबंध में जमाकर्ता द्वारा या सभी जमाकर्ताओं द्वारा मिलकर किया गया नामांकन।

(बी) कथित नामांकन केवल उसी जमा के बारे में किया जा सकता है जो कि जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में धारित है न कि किसी कार्यालय या अन्यथा धारक के रूप में किसी प्रतिनिधि की हैसियत में।

(सी) जहां नामिती अवयस्क हो, नामांकन करते समय मामले के अनुसार जमाकर्ता या सभी जमाकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को जो अवयस्क न हो जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या नामिती की अल्पवयस्कता के दौरान सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के मामले में नामिती की तरफ से जमाराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें।

(डी) किसी अवयस्क के नाम से किए गए जमा के मामले में अवयस्क की तरफ से विधि सम्मत् रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जाएगा।

(इ) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन को रद्द करना।

(एफ) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन में परिवर्तन।

(जी) कथित नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा।

(एच) किसी सहकारी बैंक द्वारा जमाकर्ता या जमाकर्ताओं जैसा मामला हो के नामे खाता जमा धारित करने के दौरान नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन परिवर्तन उपर्युक्त के अनुसार किया जा सकता है।

(आई) यदि कोई जमा एक से अधिक जमाकर्ताओं के नाम धारित हो तो किसी नामांकन का निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा जब तक नामांकन के निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन के समय जीवित सभी जमाकर्ताओं द्वारा न किया गया हो।

(जे) सहकारी बैंक किसी जमा के संबंध में जैसा मामला हो, नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के विधिवत् पूरित संबंधित फार्म की प्राप्ति-सूचना लिखित रूप में संबंधित जमाकर्ता या जमाकर्ताओं को देगा।

(के) सहकारी बैंक को प्रस्तुत नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन का विधिवत् भरा गया संबंधित फार्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाएगा।

(एल) नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन केवल जमा के नवीकरण के कारण से अप्रभावी नहीं हो जाएगा।

4.4 नामांकन का अभिलेख

4.4.1 नामांकन की प्राप्ति

सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) के अनुसार बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए संबंधित फॉर्म जमा किए

जाने की सूचना जमाकर्ता (ओं) /लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रूप से देना आवश्यक है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन का रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए फॉर्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की प्राप्ति-सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं। इसके अतिरिक्त, यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो बैंकों को चाहिए कि वे पासबुक /खाता विवरण /मीयादी जमा रसीदों पर 'नामांकन पंजीकृत' शब्दों के साथ नामिती का नाम भी दर्शाएं।

4.4.2 नामांकन का पंजीकरण

नियम 2 (10), 3(9) तथा 4 (10) के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे नामांकनों, नामांकनों के निरस्तीकरण तथा/या उनमें परिवर्तनों को अपनी बहियों में दर्ज करें। तदनुसार, बैंकों को लाकरों के अपने जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) किराएदार (किराएदारों) के नामांकन दर्ज करने या उनमें उनके द्वारा किए परिवर्तनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

नामांकन दर्ज करते समय निम्नलिखित पहलुओं का पालन करें:

(i) नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के अतिरिक्त बैंक खाता खोलने वाले फॉर्म में नामिति के नाम तथा पते का उल्लेख करने का प्रावधान करें। ग्राहकों तक पहुँचने वाले चेकबुक, पासबुक तथा अन्य किसी साहित्य पर सटीक संदेश मुद्रित करने तथा नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए आवधिक अभियान चलाने के साथ-साथ नामांकन सुविधा के संबंध में प्रचार किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) संयुक्त जमाराशियों के मामले में किसी एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) द्वारा साथ-साथ परिचालन करने के लिए बैंक एक नामांकन में परिवर्तन/ निरस्तीकरण की अनुमति दें। यह उन जमाराशियों पर भी लागू होगा जिनमें परिचालन के लिए "जमाकर्ताओं में से कोई एक अथवा जीवित जमाकर्ता" अनुदेश हों। यह नोट किया जाए कि संयुक्त जमा खाता के मामले में नामिति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही होगा।

(iii) बैंक नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में 'पंजीकृत नामांकन' के प्रतीक के साथ पास बुक के मुख पत्र पर स्थिति दर्ज करने की प्रथा शुरू करें। मीयादी जमा रसीद के मामले में भी ऐसा ही किया जाए।

4.5 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन सुविधा

4.5.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के नामांकन तथा उन्हें नामिति को वापस करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा उन पर किए जाने वाले दावों की नोटिस के विरुद्ध सुरक्षा का प्रावधान करने वाले वैधानिक उपबंधों का ब्यौरा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 45 जेड सी तथा 45 जेड डी में दिया गया है।

4.5.2 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामानों के संबंध में नामांकन नियम निम्नलिखित हैं :

(ए) किसी सहकारी बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए सामानों के संबंध में किसी व्यक्ति (जिसे इसके बाद "जमाकर्ता" कहा जाएगा) द्वारा किया जानेवाला नामांकन।

(बी) जिस मामले में नामिति अवयस्क हो वहां जमाकर्ता नामांकन करते समय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो अवयस्क न हो और जो नामिति की अल्प वयस्कता के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामिति की तरफ से कथित सामान प्राप्त कर सके।

(सी) जिस मामले में किसी अल्प वयस्क के नाम से किसी सहकारी बैंक में सामान सुरक्षित अभिरक्षा में पड़े हों तो नामांकन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्प वयस्क की तरफ से विधि सम्मत् ढंग से इसके लिए अधिकृत है।

(डी) नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए।

(इ) किसी सहकारी बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में जितने समय तक सामान जमा रहते हैं उतने समय के दौरान कभी भी जमाकर्ता नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(एफ) सहकारी बैंक को इस प्रकार जमा किए गए सामानों के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फॉर्म जमा करने की प्राप्ति - सूचना जमाकर्ता को लिखित तौर पर देनी चाहिए।

(जी) सहकारी बैंक में जमा किए गए नामांकन, या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फॉर्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए।

4.5.3 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) नामांकन सुविधाएं केवल व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के मामले में उपलब्ध हैं न कि सुरक्षित अभिरक्षा में संयुक्त रूप से सामान जमा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।

(ii) नामिति या नामितियों तथा जीवित उत्तराधिकारियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान लौटाने समय बैंक उन्हें देते समय उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे मुहरबंद/बंद पैकेट न खोलें।

(iii) किसी दिवंगत जमाकर्ता द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए सामान नामिति को लौटाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में उक्त प्रयोजन के लिए प्रारूप निर्धारित कर दिए हैं।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान सही नामिति को वापस किए जाते हैं तथा मृत्यु का प्रमाण सत्यापित करने के लिए भी सहकारी बैंक अपने दावा प्रारूप बनाएं या उनके अपने महासंघ/संगठन या इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इस प्रयोजन के लिए यदि कोई प्रक्रिया सुझाई गई हो तो उसका पालन करें। जहां तक जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का संबंध है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सूचित किया है कि वे मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या मृत्यु के प्रमाण का अन्य कोई संतोषजनक माध्यम जैसे बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं का पालन करें।

4.6 सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन

4.6.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित लॉकरों में रखे सामानों के नामांकन तथा उन्हें नामिति को निर्गत करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की सूचना के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित वैधानिक उपबंधों का विवरण उक्त अधिनियम की धारा 45 जेड ई तथा 45 जेड एफ में दिया गया है।

4.6.2 सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन संबंधी नियम नीचे दिए गए हैं :

(ए) जहां किसी सहकारी बैंक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लॉकर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन इस प्रकार के किराएदारों द्वारा किया जाए।

(बी) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा।

(सी) जहां लॉकर किसी अल्पवयस्क बच्चे के नाम पर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्पवयस्क बच्चे की तरफ से परिचालन करने के लिए कानूनी तौर पर अधिकृत हो।

(डी) लॉकर के किसी इकलौते किराएदार या संयुक्त किराएदारों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, किए जाने वाले कथित नामांकन का निरस्तीकरण

(इ) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार द्वारा किए जाने वाले कथित नामांकन में परिवर्तन

(एफ) किसी लॉकर के संयुक्त किराएदारों द्वारा किए जाने वाले नामांकन में परिवर्तन

(जी) कोई नामांकन, किसी नामांकन का निरस्तीकरण अथवा नामांकन में परिवर्तन जितने समय तक लॉकर किराए पर लिया गया हो उतने समय के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त प्रकार से किया जा सकता है।

(एच) सहकारी बैंक इस प्रकार किराए पर लिए गए लॉकर के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फार्म दायर करने की प्राप्ति सूचना लिखित रूप में इकलौते किराएदार या संयुक्त किराएदारों को देगा ।

(आई) सहकारी बैंक में दायर नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फॉर्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज किया जाएगा।

4.6.3 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) नामिति (यों) की लॉकर तक पहुँच तथा उसे/उन्हें लॉकर के सामान हटाने की अनुमति देने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लिए प्रारूप निर्धारित कर दिए हैं।

(ii) बैंक उपर्युक्त पैरा 4.5.3 (iv) में किए गए उल्लेख के अनुसार कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा की राशियां, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान तथा लॉकरों के सामान सही नामिति को लौटाए गए हैं ।

(iii) लॉकरों के सामान नामिति या नामितियों तथा जीवित किराएदारों को निर्गत करते समय बैंक लॉकर में पाए गए मुहरबंद/बंद पैकेट नखोलें।

(iv) जहां तक संयुक्त रूप से किराए पर लिए गए लॉकर का संबंध है तो संयुक्त किराएदारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लॉकर से सामान हटाने (नामिति तथा जीवित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से) की अनुमति निर्धारित तरीके से सामान की सूची देने के बाद ही दी जाए। इस प्रकार के मामले में सामान सूची से पहले इस प्रकार सामान हटाने के बाद यदि नामिति तथा जीवित उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) चाहें तो लॉकर किराए पर लेने की एक नई संविदा करके सभी सामान उसी बैंक में अभी भी रख सकते हैं।

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड ई किसी अल्पवयस्क को किसी लॉकर के सामान की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए नामिति होने से नहीं रोकती। तथापि, इस प्रकार के मामलों में बैंकों का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी लॉकर के सामान किसी अल्पवयस्क नामिति की तरफ से निकाले जाने हों तो वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएं जो कानून अल्पवयस्क नामिति की तरफ से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सक्षम हो।

5. खातों का परिचालन

5.1 संयुक्त खाते

5.1.1 संयुक्त खातों के परिचालन के तरीके

(i) भारतीय बैंक एसोसिएशन से 28 अगस्त 1980 को प्राप्त पत्र सं. एलए.सी/19-96-29 की प्रति अनुबंध। में दी गई है। बैंक अपनी शाखाओं के सूचनार्थ तथा इस विषय पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिए समुचित अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं।

(ii) यदि मीयादी/ सावधि जमाराशि खाते 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' इस अनुदेश के साथ खोले गए हैं तो परिपक्वता पर जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, परिपक्वता अवधि के पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है। यदि खाता खोलते समय 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' यह परिचालन अनुदेश दिए गए हो और परिपक्वता अवधि से पहले दोनों में से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो, मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस की सहमति के बिना मीयादी /सावधि जमाराशि का परिपक्वता अवधि से पहले भुगतान न किया जाए। यद्यपि, इससे परिपक्वता अवधि पर उत्तरजीवी को भुगतान करने में कोई बाधा नहीं होगी।

(iii) 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन अनुदेश होने की स्थिति में दोनों जमाकर्ता जीवित होने के बावजूद सिर्फ पूर्ववर्ती व्यक्ति मीयादी /सावधि जमाराशि का परिचालन / आहरण कर सकता है। तथापि, परिपक्वता अवधि से पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। यदि पूर्ववर्ती व्यक्ति मीयादी/ सावधि जमाराशि की परिपक्वता अवधि से पहले मृत हो जाता है तो परिपक्वता पर उत्तरजीवी जमाराशि आहरित कर सकता है। यद्यपि जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए दोनों जमाकर्ता यदि जीवित हैं, तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता और दोनों में

से किसी एक की मृत्यू हो जाने पर मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

(iv) यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन आदेश, जैसे भी स्थिति हो के साथ मीयादी /सावधि जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण करना पसंद करते हैं तो बैंक ऐसे कर सकता है, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए बैंक ने जमाकर्ताओं से संयुक्त आदेश प्राप्त किया हो।

5.1.2 संयुक्त खाता खोलने में बरती जाने वाली सावधानियां

(i) बहुत सारे संयुक्त खाताधारकों के मामले में बैंकों को संयुक्त खाते खोलते समय तथा उनमें परिचालन की अनुमति देते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए :

(ए) यद्यपि किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है फिर भी यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे संयुक्त खाता खोलने के प्रत्येक अनुरोध की बहुत सावधानी से जाँच करें । विशेष रूप से, पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के स्वरूप, व्यवसाय से जुड़े अन्य संबंधित पहलुओं, खाताधारकों की वित्तीय स्थिति पर खाता खोलने से पूर्व गौर करना जरूरी है । उस स्थिति में भी सावधानी बरतने की जरूरत है जब खाताधारकों की संख्या बड़ी हो।

(बी) तीसरे पक्षकारों को भुगतान के लिए आदाता खाता चेकों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) ऐसे चेक जो "सामान्य रूप से रेखित" हों, ही आदाता द्वारा समुचित परांकन के बाद संग्रहीत किए जाने चाहिए।

(डी) बड़ी राशियों के चेकों की वसूली में सावधानी बरतनी चाहिए।

(इ) संयुक्त खातों में किए गए लेनदेनों की संवीक्षा बैंकों द्वारा आवधिक रूप से की जानी चाहिए तथा मामले में जो भी कार्रवाई उचित हो की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि संयुक्त खातों का प्रयोग बेनामी लेनदेनों के लिए नहीं किया जा रहा है।

(ii) आंतरिक नियंत्रण तथा सतर्कता तंत्र को सख्त किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त खाते खोलने तथा उनमें परिचालन से जुड़े उपर्युक्त पहलुओं पर निगरानी रखी जा सके।

5.2 नए खातों में परिचालनों की निगरानी

5.2.1 नए खातों में परिचालनों पर गहन निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए । हालांकि शाखाओं पर नए-नए खोले गए खातों की निगरानी करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारियों की होगी जबकि बड़ी शाखाओं पर शाखा प्रबंधकों या जमा खाता विभाग के प्रबंधकों को इस प्रकार के खाते खोले जाने की तारीख से कम से कम पहले छः महीनों तक गहन निगरानी करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के खातों में फर्जी या संदिग्ध लेनदेन होने को रोका जा सके। यदि किसी प्रकार के संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है तो बैंक को खाता धारक से लेनदेन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिले तो उन्हें इस प्रकार के लेनदेनों की सूचना उचित जाँच एजेंसी को देने पर विचार करना चाहिए।

5.2.2 जब कभी बड़ी राशियों के लिए चेक/ड्राफ्ट वसूली के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं या नए खाते खुलने के तुरंत बाद/थोड़ी समयावधि के भीतर नए खातों में नामे खाता करने के लिए टेलीग्रॉफिक अंतरण (टीटी)/मेल अंतरण (एमटी) प्राप्त हों तो सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार के मामलों में, लिखतों तथा खाताधारक के औचित्य का विस्तारपूर्वक सत्यापन करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आदाता बैंक को संग्राहक बैंक से जारी होने वाले बड़ी राशि के चेकों/ड्राफ्टों के औचित्य के बारे में जाँच करनी चाहिए। वसूली के लिए प्रस्तुत बड़ी राशि वाले मांग ड्राफ्टों/चेकों का सत्यापन बैगनी लैपों से किया जाना चाहिए ताकि रासायनिक रूप से किए गए हेर-फेर की जाँच हो सके।

5.3 सभी खातों में परिचालनों की निगरानी करना

5.3.1 बड़ी राशियों के नकदी आहरणों की गहन निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए। जब मौजूदा तथा नए खोले गए खातों में तीसरे पक्षकार के चेक, ड्राफ्ट आदि जमा किए जाते हैं और उसके बाद बड़ी राशियों के लिए नकद आहरण किए जा रहे हों तो बैंकों को बड़ी राशियों हेतु नकद आहरणों के लिए अपने ग्राहकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उचित निगरानी रखनी चाहिए।

5.3.2 बैंकों को 5 लाख रु. तथा उससे अधिक की नकद जमा तथा आहरणों की सधन निगरानी की व्यवस्था न केवल जमा खातों में बल्कि नकद/ओवर ड्राफ्ट आदि जैसे अन्य सभी खातों में भी शुरू करनी चाहिए। बैंकों/शाखाओं को 5 लाख रु. तथा उससे अधिक के लिए व्यक्तिगत नकद जमा राशियों तथा आहरणों का विवरण दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखना चाहिए। जमाओं के मामले में दर्ज किए गए आंकड़ों में खाता - धारक का नाम, खाता संख्या, जमा की गई राशि तथा आहरणों के मामले में खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आहरण की राशि तथा चेक के लाभार्थी का नाम शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 5 लाख रु. तथा उससे अधिक की किसी नकद जमा या आहरणों की सूचना शाखा प्रबंधक द्वारा खाता धारक के नाम, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख जैसे पूर्ण विवरणों के साथ पखवाड़े के आधार पर प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए। शाखाओं से इन विवरणों के प्राप्त होने के बाद प्रधान कार्यालय को तुरंत उनके ब्यौरों की जांच करनी चाहिए और लेनदेन प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगते हैं या संदेह पैदा करते हैं तो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके ऐसे लेनदेनों की जाँच करवानी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी निरीक्षणों के दौरान शाखाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जाँच करेंगे।

5.3.3 चेकों के भुगतान में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आहरणकर्ता के हस्ताक्षर का सत्यापन, नमूना हस्ताक्षरों के कार्ड की अभिरक्षा, चेक बुक जारी करने में निगरानी तथा खाली चेक बुक/पन्नों की अभिरक्षा पर नियंत्रण हैं। हालांकि बड़ी राशियों के चेकों की पराबैंगनी किरण लैपों से जाँच करने की जरूरत को सभी बैंकों ने स्वीकार किया है परंतु व्यवहार में बमुश्किल ऐसा किया जाता है क्योंकि ऐसे मामले में प्रायः ढिलाई बरतने की प्रवृत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य हानि होती है। इसके अतिरिक्त टोकन जारी करने एवं उनकी अभिरक्षा, काउंटर पर प्रस्तुत किए गए चेकों के संचलन तथा बैंकों द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद सभी लिखतों की अभिरक्षा के संबंध में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। खाते बंद करते/स्थानांतरित करते समय जमाकर्ताओं/ग्राहकों से अप्रयुक्त चेक बुक सौंपने के लिए कहना चाहिए। नमूना हस्ताक्षर कार्डों की सुरक्षित अभिरक्षा का, विशेष रूप से जब परिचालनात्मक अनुदेश परिवर्तित हो गए हों, बहुत महत्व होता है। इस परिवर्तन का विधिवत् सत्यापन शाखा के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

5.4 चेक बुक जारी करना

नए चेक बुक पक्षकार को जारी किए गए पिछले चेक बुक की विधिवत् हस्ताक्षरित मांग पर्चियां प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए। यदि कोई चेक बुक किसी मांग पत्र पर जारी किया जाता है तो आहरण कर्ता को बैंक में व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहना चाहिए या बिना वाहक को सुपुर्द किए चेक बुक पंजीकृत डाक से सीधे उसे भेज दिया जाना चाहिए। खुले चेक केवल खाता धारक को तभी जारी करना चाहिए जब वे व्यक्तिगत रूप से मांग पत्र लेकर पास बुक प्रस्तुत करते हैं।

5.5 बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते

बैंकों के पास अदावी जमाराशियों की प्रति वर्ष बढ़ती हुई राशि तथा एसी जमाराशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय रहे हैं, उनका पता-ठिकाना ढूंढने में बैंकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी भी धारणा बनी है कि बैंक, ब्याज का भगतान किए बिना अदावी जमाराशियों का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। इन कारकों को ध्यान रखते हुए बैंकों को अप्रचलित/निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें:

(i) शहरी सहकारी बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ है (अर्थात्: आवधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामे प्रविष्टि नहीं है)। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहकों से संपर्क करें और उन्हें लिखित रूप में यह सूचित करें कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण पूछें। यदि ग्राहकों का उक्त इलाके से स्थानांतरण होने के कारण खाते निष्क्रिय हैं तो ग्राहकों से उनके बैंक खातों के ब्योरे देने के लिए कहा जाए जिनमें विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सके।

(ii) यदि वे पत्र अवितरित वापस आते हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों का अथवा ग्राहकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढने के लिए तत्काल जांच कार्रवाई प्रारंभ करें।

(iii) यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नहीं मिल रहा है तो बैंक को खाताधारक का परिचय करानेवाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए। यदि ग्राहक के नियोजक / अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ब्योरे उपलब्ध हैं तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। खाताधारक का टेलीफोन नंबर/सेल नंबर यदि बैंक को दिया गया है तो बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी खातों के मामले में बैंक खाताधारकों से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और खाते के ब्योरे के संबंध में उनकी प्रिष्ट प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्हें निष्क्रिय खाता माना जाए।

(v) यदि खाताधारक खाते को परिचालन न करने के लिए कारण देते हुए कोई उत्तर देता है तो बैंकों को एक और वर्ष की अवधि के लिए उस खाते को सक्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिए। इस अवधि के भीतर उस खाताधारक को खाते का परिचालन करने के लिए अनुरोध किया जाए। तथापि, विस्तारित

अवधि के दौरान भी खाताधारक यदि खाता परिचालित नहीं करता है तो बैंकों को चाहिए कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका निष्क्रिय श्रेणी में वर्गीकरण करें।

(vi) किसी भी खाते को 'निष्क्रिय' रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अज्ञोथ पर किए गए दोनों प्रकार के लेनदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए। तथापि बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रभार तथा बैंक द्वारा जमा किये गये ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाए। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब किसी ग्राहक में सावधि जमाखाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश (मेनडेट) दिया हो और उक्त बचत खाते में इसके अलावा कोई अन्य परिचालन न किया गया हो। सावधि जमा खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किए जाने के कारण उसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए। इस प्रकार जब तक सावधि जमा राशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को सक्रिय माना जाए। सावधि जमा खाते का ब्याज जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे गचत बैंक खाते को निष्क्रिय माना जा सकता है।

(vii) इसके अलावा निष्क्रिय खातों का पृथक्करण धोखाधड़ी आदि के जोखिम को कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। तथापि, केवल इस कारण कि किसी ग्राहक का खाता निष्क्रिय माना जा रहा है, उसे किसी भी प्रकार की अस्विधा नहीं होनी चाहिए। एसा वर्गीकरण केवल खाते से जुड़े बड़े जोखिम को संबंधित स्टाफ के ध्यान में लाने के लिए किया गया है। धोखाधड़ी को रोकने तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट बनाने, दोनों दृष्टि से इस लेनदेन की उच्चतर स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए। तथापि, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए।

(viii) ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार उचित सावधानी बरतने के बाद ऐसे खातों में परिचालन की अन्मति दी जानी चाहिए। यहां उचित सावधानी का अर्थ होगा, लेनदेन की प्रामाणिकता स्निश्चित करना, हस्ताक्षर तथा पहचान का सत्यापन आदि। तथापि, यह स्निश्चित किया जाए कि बैंक द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी के कारण ग्राहक को असुविधा नहीं होती है।

(ix) निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय करने का कोई प्रभार नहीं होना चाहिए।

(x) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह भी स्निश्चित करें कि निष्क्रिय खाता लेजर में पड़ी शेष राशियों की बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा समिचित लेखा परीक्षा की जाती है।

(xi) बचत बैंक खातों में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिए चाहे खाता सक्रिय हो अथवा न हो। यदि मीयादी जमा राशि के परिपक्व होने पर देय राशि का भगतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर, लागू होगी।

(xii) राज्य और केंद्र सरकारों ने केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए खोले गए उन खातों में चेक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण/ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि क्रेडिट करने में कठिनाई व्यक्त की है जो खाते दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए परिचालन न होने के कारण निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिये गये हैं। अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंकों द्वारा खोले गए ऐसे सभी खातों के लिए सीबीएस में एक अलग "उत्पाद कोड" दें ताकि उक्त राशि क्रेडिट करते समय गैर-परिचालन के कारण निष्क्रिय खाते की शर्त लागू न हो। ऐसे खातों में धोखाधड़ी आदि का जोखिम कम करने के लिए, इन खातों में परिचालन के लिए अनुमति देते

समय लेन देन की प्रामाणिकता, हस्ताक्षर का सत्यापन तथा पहचान आदि सुनिश्चित करते हुए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो रही है।

(xiii) ऐसे निष्क्रिय खाते जिनमें न्यूनतम शेष राशि न रखी गई हो, के लिए दंड स्वरूप ब्याज लागाने की अनुमति बैंकों को नहीं है।

5.6 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014

बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949, में संशोधन के फलस्वरूप इस अधिनियम में धारा 26क शामिल की गयी है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) की स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया। तदनुसार, योजना को शासकीय राजपत्र में 24 मई 2014 को अधिसूचित किया गया है, जिसे अनुबंध II में दिया गया है। योजना के पैरा 3(vi) के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रभावी तारीख से पूर्व के दिन, अर्थात् 23 मई 2014 की स्थिति के अनुसार सभी खातों में उपचित ब्याज सहित संचयी शेष की गणना करेंगे तथा ऐसी देय राशियों को 30 जून 2014 को (बैंकिंग घंटों की समाप्ति से पहले) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) में अंतरण किया जाना चाहिए। उसके बाद, जैसाकि योजना के पैरा 3(vii) में उल्लिखित है, बैंकों को चाहिए कि प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली राशियां (अर्थात् दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अपरिचालित खातों की राशियां और अदावी शेष राशियां) तथा उस पर उपचित ब्याज अगले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर निधि में अंतरित करें, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है। निधि में राशि जमा किए जाने, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश अनुबंध II (ए) में दिए गए हैं।

5.7 वृद्ध/रूग्ण/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन

5.7.1 वृद्ध/रूग्ण/अक्षम ग्राहकों के अपने बैंक खातों में परिचालन करना सुविधाजनक बनाने के लिए नीचे में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाए। रूग्ण/पुराने/अक्षम खाता धारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे:

(i) कोई खाताधारक जो इतना बीमार हो कि चेक पर हस्ताक्षर न कर सके/अपने बैंक खाते से पैसा आहरित करने के लिए बैंक में सशरीर उपस्थित न हो सके लेकिन चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप दे सकता हो, तथा

(ii) ऐसा खाताधारक जो न केवल बैंक में सशरीर उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप देने में भी असमर्थ हो।

5.7.2 बैंक निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करें:

(i) जहां बीमार/बूढ़े/अक्षम खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे की छाप प्राप्त की जाती है वहां इस छाप की पहचान बैंक को ज्ञात दो गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो।

(ii) जहां ग्राहक अपने अंगूठे की छाप भी नहीं दे सकता और बैंक में सशरीर उपस्थित भी नहीं हो सकता हो तो चेक/आहरण फॉर्म पर एक निशान लेनी चाहिए जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा होनी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो।

5.7.3 इस प्रकार के मामलों में ग्राहक से कहा जाय कि वह बैंक को यह सूचित करे कि उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त किए गए चेक/आहरण फॉर्म के आधार पर बैंक से आहरण कौन प्राप्त करेगा तथा उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों से की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से वास्तव में धन का आहरण कर रहा है उससे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत के लिए कहा जाना चाहिए।

5.7.4 इस संदर्भ में किसी ऐसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के प्रश्न पर जिसके दोनों हाथ न हों तथा जो चेक/आहरण फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो, भारतीय बैंक संघ द्वारा उसके सलाहकार से प्राप्त एक मत के अनुसार जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हों तथा दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर एवं निशान के बीच भौतिक संपर्क होना चाहिए। इसलिए, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने अपने दोनों हाथ गवाँ दिए हों, हस्ताक्षर किसी निशान के द्वारा किए जा सकते हैं। यह निशान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। यह पैर के अंगूठे की छाप हो सकता है जैसा बताया गया है। यह किसी ऐसे निशान द्वारा किए जा सकते हैं जो उस व्यक्ति की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन किसी लिखत द्वारा दिया गया निशान का उस व्यक्ति के साथ भौतिक संपर्क हो जिसे हस्ताक्षर करने हैं।

5.7.5 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा स्वपरायणता(आटिज्म), मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र

(i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में एक ऐसे कानून का प्रावधान किया गया है जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के उपचार और देखभाल करने तथा उनकी संपत्तियों व अन्य मामलों के संबंध में बेहतर प्रावधान करने से संबंधित है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत, "मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे मानसिक मन्दन को छोड़कर किसी अन्य मानसिक रुग्णता के लिए उपचार की आवश्यकता है। इस अधिनियम की धारा 53 और 54 में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों तथा कतिपय मामलों में उनकी संपत्ति के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करने का प्रावधान है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत निर्धारित नियोक्ता प्राधिकारी जिला न्यायालय और जिलाधिकारी हैं।

(ii) स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में कतिपय विनिर्दिष्ट विकलांगताओं से संबंधित कानून का प्रावधान है। उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) में "विकलांग व्यक्ति" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन या किन्हीं ऐसे दो या अधिक रुग्णताओं से पीड़ित है और इसमें बहुविध अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है। यह अधिनियम एक स्थानीय स्तर समिति को शक्ति प्रदान करता है कि वह विकलांग व्यक्ति के लिए ऐसे अभिभावक की नियुक्ति कर सके जो उस अक्षमता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्तियों की देखभाल कर सकेगा।

बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं अपंग व्यक्तियों के माता-पिता/रिश्तेदारों को सही मार्गदर्शन दें ताकि उन्हें इस संबंध में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

5.8 विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति

5.8.1 विदेशी सहयोग अधिनियम (विनियमन) अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम वाले विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाले संघों को स्वयं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत करवाना चाहिए तथा विदेशी सहयोग किसी बैंक की केवल उसी शाखा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जिसका उल्लेख संघ ने गृह मंत्रालय में पंजीकरण हेतु अपने आवेदन में किया हो।

5.8.2 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि धारा (6) की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक संघ, यदि वह केंद्र सरकार में पंजीकृत नहीं है, केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई विदेशी सहयोग स्वीकार कर सकते हैं ।

5.8.3 राजनीतिक प्रकार के कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं/यूनिटों सहित) न होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 (i) के अंतर्गत उल्लिखित हैं। इन संगठनों के लिए किसी विदेशी सहयोग को प्राप्त करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:

(i) विदेशी सहयोग दर्शाने वाले चेकों/ड्राफ्टों की राशि को जमा करना बशर्ते संघ गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत हो।

(ii) गृह मंत्रालय से प्राप्त किसी सूचना को प्रस्तुत करने का आग्रह करना जिसमें संघ के विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत न होने की स्थिति में विदेशी सहयोग की एक विशेष राशि की स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति दी गई हो।

(iii) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जो विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत विदेशी सहयोग स्वीकार करने के प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय में अलग से पंजीकृत नहीं हैं।

(iv) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जिन्हें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेशी सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

(v) राजनीतिक प्रकार के संगठनों, जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं तथा यूनिटों सहित) नहीं हैं, को तब तक चेकों/ड्राफ्टों आदि की राशि को जमा दर्ज करने की अनुमति नहीं देना जब तक विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत इस प्रकार के संगठन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति वाला पत्र प्रस्तुत न कर दें।

(vi) गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को भेजी गई पंजीकरण संख्या को संबंधित रेकार्डों विशेष रूप से बहियों के पृष्ठों में दर्ज करना जिनमें यह सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के विदेशी सहयोग खाते रखे गए हैं कि इस प्रकार के संगठनों का अवांछित उत्पीड़न न हो।

(vii) यदि किसी चेक/मांग ड्राफ्ट को इसके राशि की वसूली के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया हो तथा ऐसे संघ या संगठन द्वारा किसी संघ/संगठन के खाते में जमा दर्ज किया गया हो जो पंजीकृत नहीं है या जिसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक हो, जैसा भी मामला हो, तो बैंक की संबंधित शाखा आगे के अनुदेशों के लिए गृह मंत्रालय

से संपर्क करे। किसी भी स्थिति में बैंकों को राजनीतिक प्रकार के संघ/संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है तथा किसी अपंजीकृत संगठन, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है के खाते में जमा दर्ज नहीं करना चाहिए जब तक कि संघ/संगठन गृह मंत्रालय का कोई पत्र प्रस्तुत नहीं करता जिसमें विदेशी सहयोग स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति न दी गई हो।

(□□□□) जहां पूर्व अनुमति मंजूर कर ली गई हो, इस प्रकार की अनुमति केवल विदेशी सहयोग की निश्चित राशि स्वीकार करने के लिए है जिसका उल्लेख संबंधित पत्र में किया जाएगा। गृह मंत्रालय बैंक की संबंधित शाखा को प्रत्येक संघ/संगठन के पंजीकरण आदेश या पूर्व अनुमति की प्रति एक समान रूप से परांकित कर रहा है जिसके माध्यम से विदेशी सहयोग संघों/संगठनों के खाते में जमा करने के लिए प्राप्त किया जाना है।

5.8.4 उपर्युक्त प्रयोजन के लिए बैंक के भीतर ही समुचित प्रणालियां विकसित की जाएं ताकि इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा गैर-अनुपालन की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस प्रकार विकसित प्रणाली की सूचना उचित कार्यान्वयन तथा सख्त अनुपालन के लिए बैंक की सभी शाखाओं को दी जानी चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के स्तर पर उसकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए।

5.8.5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की ऑन-लाइन प्रस्तुति 31 अक्टूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी। तथापि, 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाइन प्रस्तुति अनिवार्य होगी। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एफसीआरए रिपोर्टिंग के संबंध में <http://mha1.nic.in/fcra.htm> वेबसाइट का एक्सेस करें तथा यूसरगाइड के लिए <http://mha1.nic.in/pdfs/USERGuideBank-270813.pdf> का एक्सेस करें।

5.8.6 इन अनुदेशों का पालन न करना कथित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा। निर्धारित विवरणी समय पर भारत सरकार को न प्रस्तुत करने के मामले को भी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।

6. दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश दिया जाए कि दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के इंज़ट-रहित त्वरित भुगतान के लिए वर्तमान अनुदेशों का पालन किया जाए। मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का समय पर सहज रूप से निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से मृत जमाकर्ताओं के खाते (तों) के संबंध में दावे का फॉर्म उक्त प्रयोजन के लिए बैंक/ शाखाओं से संपर्क करने वाले किसी व्यक्ति/ यों को उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है। शहरी सहकारी बैंक जिनके पास अपनी वेबसाइट है, वे दावा फॉर्म अपनी वेबसाइट में प्रकट रूप में डाल दें ताकि मृत जमाकर्ताओं के दावेदार बैंक के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म प्राप्त करने हेतु संबंधित बैंक/ शाखा में गए बिना उसे वेबसाइट पर देखकर डाऊनलोड कर सकें।

दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के इंज़ट-रहित त्वरित भुगतान के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए।

जमाखाते की शेष राशि तक पहुंच

6.1 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते

यदि जमाकर्ता ने खाता खोलते वक्त नामांकन सुविधा का लाभ उठाया हो और खाता खोलते वक्त जीवित खाताधारक उपबंध ('जीवित या दोनो' या 'जीवित या इनमें से कोई', या 'पहला या जीवित', या 'बाद वाला या जीवित') के रूप में वैध नामांकन किया हो तो दिवंगत के जमाखाते के जीवित/नामकिती के जमा खाते में शेष राशि बैंक अंतरित कर सकता है बशर्ते:

(ए) जीवित/नामकिती की पहचान के बारे में बैंक ने दस्तावेजी सुबूतों से पूरे ध्यान और सावधानी के साथ जांच कर ली हो;

(बी) किसी भी सक्षम न्यायालय ने दिवंगत के खाते से भुगतान करने पर बैंक पर कोई रोक न लगाई हो; और;

(सी) जो जीवित/नामकिती बैंक से भुगतान प्राप्त करे उसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि वह दिवंगत के कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्टी का कार्य करेगा, अर्थात् इस भुगतान से उन व्यक्तियों के दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका जीवित/नामकिती के प्रति कोई दावा बनता है।

6.2 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित शर्तों के अधीन यदि बैंक जीवित/नामकिती को भुगतान कर देता है तो इससे बैंक की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। वैधानिक प्रतिवेदन की मांग अवांछित और बेमानी है और इससे जीवित/नामकिती की परेशानियां बढ़ेंगी ही और इसे गंभीर पर्यावेक्षणात्मक त्रुटि के रूप में देखा जाएगा। दिवंगत जमाकर्ता के जीवित/नामकिती से बैंक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत पत्र इत्यादि की मांग पर जोर नहीं देना चाहिए और न ही जीवित/नामकिती से किसी प्रकार का इंडेमिनिटी बांड या जमानत की मांग नहीं करनी चाहिए चाहे दिवंगत जमाकर्ता के खाते में कितनी भी राशि हो।

6.3 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते

जिन मामलों में दिवंगत जमाकर्ता ने खाता में 'जीवित या इनमें से कोई भी' (जैसे कि एकल या संयुक्त खाते में होता है) वाली स्थिति अपनाई हो तो उस स्थिति के लिए बैंकों को सूचित लिया जाता है कि वे जमाकर्ता के कानूनी वारिसों को राशि चुकाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जनसाधारण को कम से कम परेशानी हो। इसके मद्देनजर बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखकर एक ऐसी सीमा निर्धारित कर लें जिस तक दिवंगत जमाकर्ता के दावे क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को दिखाए भी निपटाए जा सकें।

6.4 मीयादी जमा खाते का समय-पूर्व समापन

- i. 'दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा 'दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश वाली सावधि/मीयादी जमाराशियों के मामले में शहरी सहकारी बैंक एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं लेकिन केवल उसी स्थिति में जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो।
- ii. जिन शहरी सहकारी बैंकों ने न तो खाता खोलने वाले फार्म में इस वाक्यांश को शामिल किया है और न ग्राहकों को ही इस प्रकार के अधिदेश की सुविधा के बारे में जागरूक बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, 'उत्तरजीवी' जमा खाताधारक (धारकों) को अनावश्यक असुविधा होती है। अतः

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्वोक्त वाक्यांश को खाता खोलने वाले फार्म में अनिवार्य रूप से शामिल करें और अपने मौजूदा एवं भावी सावधि जमाकर्ताओं को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित भी करें।

- iii. संयुक्त जमाकर्ताओं को मीयादी जमा करते समय या बाद में जमा की मीयाद/अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश लिया जाता है, तो बैंक मृतक संयुक्त जमा धारक के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना ही उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा मियादी/ सावधि जमा के परिपक्वतापूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार के परिपक्वतापूर्ण आहरण पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा।

6.5 दिवंगत जमाकर्ता के नाम आनेवाले आगम का निपटान

जमा खाते के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत खातेदार के नाम आनेवाले आगमों के निपटान के लिए वे जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से समुचित करार/अनुमति पत्र प्राप्त कर लें। इस बारे में बैंक इन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं:

- बैंक दिवंगत खातेदार के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से 'दिवंगत श्री/श्रीमती----- की संपत्ति' के रूप में खाता खोलने के लिए एक अधिकार पत्र हासिल कर सकते हैं ताकि दिवंगत खातेदार के नाम से आनेवाले सारे आगमों को इसमें जमा किया जा सके। मगर इसमें एक शर्त यह होगी कि आहरण न किया जाए।

या

- जीवित बचे खातेदार /नामिती बैंक को इस बात के लिए अधिकृत कर सकते हैं कि आनेवाले आगम को 'दिवंगत खाताधारक' की टिप्पणी के साथ प्राप्त करें और जीवित बचे खातेदार /नामिती को तदनुसार सूचित किया जाए। तत्पश्चात, जीवित बचे खातेदार /नामिती/कानूनी वारिस विप्रेषक के पास जाकर उचित लाभग्राही के नाम पराक्रम्य लिखत या ई सी एस अंतरण के माध्यम से प्राप्त करें।

6.6 सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुओं तक पहुंच

लॉकर किराए पर लेने वाले/ सुरक्षित हिफाजत में वस्तुएं रखने वाले दिवंगत के नामितियों (यदि ऐसा नामंकन किया गया है तो) या दिवंगत के उन उत्तरजीवियों (जिस स्थिति में लॉकर /सुरक्षित हिफाजत में रखी वस्तुओं वस्तुएं तक पहुंच उत्तरजीविता के उपबंध से निदेशित होती हो) की लॉकर के किराएदार/सुरक्षित हिफाजत में रखने वाले की मृत्यु के बाद पहुंच बनाने के लिए बैंकों को सामान्यतः वही रुख अख्तियार करने की सलाह दी जाती है जैसा कि जमा खाते के लिए बताया गया है। तथापि, इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

6.7 दावों के निपटान के लिए समयसीमा

बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत जमाकर्ता से संबंधित दावों का निपटान जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाणपत्र तथा दावे की उपयुक्त निशानदेही के पश्चात उत्तरजीवियों/नामितियों को इसका भुगतान 15 दिन की अवधि के अंदर कर दिया जाए मगर पहले बैंक को इन दस्तावेजों से संतुष्ट होना आवश्यक है। दिवंगत जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित हिफाजत में वस्तुएं रखने वाले दिवंगतों के बारे में तथा जो

मामले निर्धारित समय के बाद भी नहीं निपटाए जा सके उनके कारण बताते हुए बैंक अपने निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतरालों, अनवरत आधार पर सूचित करते रहें।

6.8 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधान

इस बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के सात पठित धारा 45 जेड ए से 45 जेड एफ तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6.9 ग्राहकों को सलाह तथा प्रचार

बैंकों को सूचित कि या जाता है कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता उपबंधों के बारे में जमा खाता धारकों में प्रचार-प्रसार करें तथा इस बारे में उन्हें सलाह-मशविरा दें। उदाहरणार्थ, प्रचार साहित्य में इस बात को उजागर किया जाए कि उत्तरजीविता उपबंध के बिना अपने आप ही उत्तरजीवी खाताधारक को जमा राशि प्राप्त करने का हक हासिल नहीं हो जाएगा।

7. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती / कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर बैंक निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण करें।

(ए) गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने तथा धारा 108 उसकी मृत्यु की परिकल्पना पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्यु की परिकल्पना का मामला गुमशुदा व्यक्ति के खोने की सूचना से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उठाया जा सकता है। अतः, नामिती / कानूनी वारिसों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने की सुव्यक्त परिकल्पना का मामला किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के अंतर्गत उठाना होगा। यदि न्यायालय यह मान लेता है कि गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है तब उस आधार पर गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किया जा सकता है।

(बी) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एक नीति निर्धारित करें जिससे वे कानूनी राय पर विचार कर तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसके अधीन वे (i) एफआईआर तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट तथा (ii) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की प्रस्तुति पर जोर दिये बिना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान कर सकते हैं।

(सी) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 16 अगस्त 2013 के परिपत्र एफ. सं. 1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा जून 14-20 के दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में गुमशुदा लोगों की मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एमएचए परिपत्र के दायरे में आने वाले गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान करते समय (i) एमएचए परिपत्र

के अंतर्गत पदनामित अधिकारी द्वारा जारी 'मृत्यु प्रमाण पत्र' और (ii) क्षतिपूर्ति-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज का आग्रह न करें।

(डी) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि अनुच्छेद (ए) और (बी) में बताए गए अनुदेश अन्य मामलों पर लागू होंगे जो एमएचए परिपत्र के दायरे में नहीं आते हैं।

8. जमा संग्रह

8.1 जमा संग्रह एजेंट

8.1.1 बैंकों के लिए जमा राशियों पर किसी रूप में दलाली का भुगतान किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्थान या अन्य किसी व्यक्ति को करना प्रतिबंधित है।

8.1.2 बैंकों को अनिवासी जमाओं सहित जमाओं के संग्रह या भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर निदेशों के अन्तर्गत अनुमत सीमा के अतिरिक्त शुल्क/कमीशन के भुगतान पर उत्पाद संबंधित अन्य किसी जमा को किसी रूप में या किसी प्रकार से बेचने के लिए फर्मों/कंपनियों के माध्यम से भी बाहरी व्यक्तियों को नियोजित/संबद्ध नहीं करना चाहिए।

8.2 "बैंक गारंटियों" सहित अनिगमित निकायों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना

बैंकों को किसी समझौते के तहत निजी वित्त प्रदाताओं अथवा अनिगमित निकायों के आग्रह पर जमा राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए जिसके तहत निजी वित्त प्रदाताओं के ग्राहकों के पक्ष में या तो जमा रसीद जारी करनी पड़ सकती है या मुख्तार नामा, नामांकन द्वारा अन्यथा ऐसे ग्राहकों को परिपक्वता पर राशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करना पड़ सकता है।

8.3 निजी संगठनों द्वारा शुरु की गई जमा संग्रह योजनाएं

यह नोट किया जाए कि प्राइज चिट्स तथा धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 की सं. 43) ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उस संबंध में अधिसूचित धर्मार्थ तथा शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर प्राइज चिट योजना को बढ़ावा देने और उसके संचालन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लॉटरी उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत "प्राइज चिट" के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त, बैंक काउंटर्स पर लॉटरी टिकटों की बिक्री से दुरुपयोग हो सकता है तथा जनता ने इसकी परिहार्य शिकायतें की हैं। इसलिए, बैंकों को किसी प्रकार के संगठनों की लॉटरी योजनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं को संबद्ध नहीं करना चाहिए।

9 बैंकिंग प्रणाली तथा आय कर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय

9.1 सुरक्षित जमा लॉकर

बैंकों को सभी लॉकर चाबियों पर एक पहचान कूट उत्कीर्ण करना चाहिए ताकि आयकर अधिकारियों द्वारा लॉकर चाबियों की पहचान करना सुविधाजनक हो तथा यह कूट बैंक तथा शाखा को दर्शाएगा जिसने लॉकर किराए पर दिया है। पहले से ही किराए पर दिए गए लाकर की चाबियों पर, अनुदेशों के अनुसार अनुपालन धरने में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव है कि जब लाकर के परिचालन के लिए व्यक्ति बैंक में आते हैं तब उस चाबी पर परिचय कूट अंकित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए लाकर के विक्रेता कंपनी की सहायता ले। संबंधित शाखा अपने लाकर के सभी ग्राहकों को लाकर चाबियों के अंकन के

संबंध में सूचना दे। कृपया यह सुनिश्चित करें कि केवल लाकर ग्राहक की उपस्थिति में ही परिचय कूट अंकित किया जाता है।

9.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय

आयकर विभाग तथा बैंकिंग प्रणाली के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इस प्रकार बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे जब भी आवश्यक हो, कर अधिकारियों को आवश्यक सहायता/समन्वय प्रदान करते हैं। इसके व्यतिरिक्त बैंकों को उन मामलों पर गहराई से विचार करना चाहिए जहां उनके स्टाफ ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की किसी प्रकार अनदेखी की है/उनमें सहायता की है। इस प्रकार के मामलों में सामान्य दंडनीय कार्रवाई के अलावा इस प्रकार के स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

10. "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक

केवाईसी और एमएमएल मानकों से संबंधित दिशा निर्देश को 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड' / 'धनशोधन निवारण मानक' / 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर 1 जुलाई 2014 को जारी किए गए मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

(ए) अपने ग्राहकों को जानिए' सिद्धांत के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के बारे में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसी प्रणालियां और क्रिया-विधियां अपनायें जिनसे वित्तीय धोखाघड़ी, काले धन को वैध बनाये जाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने तथा भारी नकदी लेनदेनों की जांच / निगरानी करने में मदद मिल सके। समय-समय पर ऐसे भी अनुदेश जारी होते रहे हैं जिनमें बैंकों को सूचित किया जाता रहा है कि वे नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें, ताकि धोखाघड़ी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग न हो सके।

(बी) बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 'अपने ग्राहक को जानिए' नियमों के लिए समुचित नियम बनाना तथा काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए उपाय बनाना सुनिश्चित करें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इसे लागू करें। परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाते समय बैंक ग्राहकों से संभाव्य जोखिमों के बारे में सूचना मांगें जो कि अंतर्वेधी अतिक्रमणशील न हों और ये इस बारे में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि केवाईसी अनुपालन के लिए केवल 'अनिवार्य' सूचना मांगी जाए जो ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय / आवधिक अद्यतन के दौरान दिया जाना अपेक्षित है। साथ ही यह दुहराया जाता है कि बैंक यह ध्यान रखें कि ग्राहक से एकत्रित की गई दोनों सूचनाओं और संबंधित विवरण (जो 'अनिवार्य' हैं- खाता खोलने से पहले प्राप्त और 'वैकल्पिक' – खाता खोलने के बाद ग्राहक की सहमति से प्राप्त) को गोपनीय समझा जाए और उन्हें प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रकट न किया जाए।

(सी) ग्राहक की पहचान के लिए जिन दस्तावेजों/जानकारी पर निर्भर किया जा सकता है उनके स्वरूप तथा प्रकार की निर्देशात्मक सूची 15 दिसंबर 2004 के परिपत्र शर्बैवि. पीसीबी. परि 30 /09.161.00/2004 -05 के

अनुबंध -11 में दी गई थी तथा समय-समय पर अद्यतित भी की गई थी। यह अद्यतित सूची, अपने ग्राहक को जानिए मानदंड' / 'धनशोधन निवारण मानक'/ 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र के अनुबंध-1 में उपलब्ध है। किंतु इस सूची को बैंक एक संपूर्ण सूची के रूप में मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक हिस्से को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा जा रहा है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

(डी) यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे उक्त परिपत्र के अनुबंध 11 में उल्लिखित स्थायी सही पता का अर्थ है वह पता जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः रहता है और वह ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत जनोपयोगी (यूटिलिटी)सेवा के बिल अथवा कोई अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पता हो सकता है। यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है। पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है।

(ई) नए खाते खोलते समय संभाव्य ग्राहकों पर केवायसी अनुपालन का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि पहचान के प्रमाण के रूप में संभावित ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में वही पता है जो ग्राहक ने खाता खोलने के फार्म में घोषित कर रखा है तो उस दस्तावेज को पहचान एवं पता दोनों के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।

(एफ) यह सूचित किया जाता है कि अब से, ग्राहकों को बैंक में खाता खोलते समय या आवधिक अपडेशन के दौरान किसी एक ही पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे । यदि पते के प्रमाण के रूप में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो पते का नया सबूत छह माह की अवधि के भीतर शाखा को प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध-1 में बताए गए सांकेतिक दस्तावेजों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसके समकक्ष पंजीकरण प्राधिकरण के पास सम्यक रूप से पंजीकृत किराया करार को भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए जिसमें ग्राहक का पता दर्शाया गया हो।

(जी) यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो श.स.बैंक ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा ले सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके । पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी । बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन सकारात्मक पुष्टि जैसे कि (i) पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड के प्राप्त होने की पावती; (ii) टेलीफोन पर बातचीत (iii) मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है । स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस

पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा बैंक को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर देनी होगी।

(एच) हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि बृहत्तर वित्तीय समावेशन के लिए बैंक 'छोटे खातों' के खोले जाने को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए 'छोटे खाते' खोलें। यह दुहराया जाता है कि 'छोटे खातों' के लिए लागू सभी सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(आई) अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धनशोधन के माध्यम बन जाते हैं। ऐसे अपराधी इन तीसरे पक्षकारों को 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने के लिए राजी कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुँच बना लेते हैं। कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते हैं लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है। 'धनशोधन के माध्यम' संबंधी लनदेन में एक बैंक खाताधारक व्यक्ति को अपने खातों में चेक जमा अथवा तार अंतरण प्राप्त करने और तत्पश्चात् कमीशन की एक निश्चित राशि अपने लिए घटाकर इन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित खातों में अथवा अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पैम ई-मेल, भर्ती की मान्य वेबसाइटों पर विज्ञापनों, सोशल नेटवर्किंग साइटों, इंस्टैंट मैसेजिंग तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों जैसे तमाम तरीकों से इस कार्य के लिए राजी किया जा सकता है। जब धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो प्रायः उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए जाते हैं जिसके कारण धोखाधड़ी में हिस्टसदारी के लिए संभावित कानूनी कार्रवाई भुगतने के अलावा उन्हें असुविधा और भारी वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ती है। कई बार तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्तियों के पते और संपर्क के ब्योरे नकली निकलते हैं या वे अद्यतन नहीं होते जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को खाताधारक का पता लगाने में कठिनाई होती है। यदि बैंक अपने 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है।

(जे) वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलते समय कुछ बैंक नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र /पत्र पर पहचान के प्रमाण के लिए तथा पते के प्रमाण के लिए एक मात्र केवाईसी दस्तावेज के रूप में भरोसा करते हैं। इस प्रकार की प्रथा का दुरुपयोग हो सकता है और यह जोखिम से भरी हुई है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र /पत्र जारी करते के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है। साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) या उपयोगिता बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए।

(के) जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेंशन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से

व्यावसयिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपजिट' अथवा 'इन एक्रो' धरित निधियों के लिए वकीलों/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धरित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वमियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वमियों की पहचान करनी चाहिए।

व्यावसयिक मध्यवर्ति जो किसी बाध्यता से संबंध होने के कारण जिस ग्राहक की ओर से खाता रखा गया है उसकी सही पहचान अथवा खाते के लाभार्थी स्वामी की सही पहचान जानने तथा सत्यपित करने अथवा लेनदेन के सही स्वरूप तथा प्रयोजन को समझने की बैंक की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, ऐसे किसी भी व्यावसयिक मध्यवर्ती को किसी ग्राहक की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(एल) नकदी प्रमुखता वाले कारोबार में उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए बुलियन व्यापारियों (छोटे व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों को भी उच्च जोखिम 'संवर्ग' में रखा जाना चाहिए जिनके लिए उच्चतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे इन उच्च जोखिम 'वाले खातों के लेनदेन के संबंध में भी कड़ी निगरानी रखें। एफआईयू इंडिया को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजने हेतु संदेहास्पद लेनदेन की पहचान करते समय बैंकों को इन खातों से जुड़ी उच्च जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए।

(एम) इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा की आवश्यकता है: महीने में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए। खाता खोलने के बाद बैंकों को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए। इस तरह से ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के मामले में केवाईसी का समूचा कार्य कम से कम प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए। मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में केवाईसी का समूचा कार्य कम से कम प्रत्येक आठ वर्ष के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, वहीं निम्न जोखिम वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के मामले में कम से कम प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल में यह कार्य पूरा किया जाना चाहिए। मध्यम जोखिम वालों के मामले में (ई-मेल/पत्र/टेलीफोन आदि के माध्यम से केवाईसी संबंधी अद्यतन जानकारी प्राप्त करना) सकारात्मक पुष्टि कम से कम प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल में प्राप्त कर लेना चाहिए। निम्न जोखिम वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के मामले में कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में इसे प्राप्त किया जाना चाहिए।

(एन) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंक की किसी शाखा द्वारा यदि एक बार किसी खाते पर केवाईसी मानदंड का पूर्ण अनुपालन किया जाता है, तो उक्त खाते का स्थानांतरण बैंक के अंतर्गत किसी भी अन्य शाखा में होने पर वैध होगा। ऐसे मामले में ग्राहक को बिना किसी पाबंदी के अपने खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे अंतरण के मामले में केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिहाज से व्यक्ति का सही पता लेने के लिए अंतरिति शाखा उक्त व्यक्ति से नए सिरे से पते के प्रमाण प्राप्त कर सकती है। शहरी सहकारी बैंक अंतरणकर्ता शाखा से

मौजूदा खातों को अंतरिती शाखा में स्थानांतरण करते समय नए सिरे से पते के प्रमाण पर जोर न देते हुए खातेधारक से स्व-घोषणा के आधार पर खाते का अंतरण कर सकते हैं, बशर्ते कि खाताधारक अपने वर्तमान पते का प्रमाण छः महीने के अंतर्गत प्रस्तुत करता हो।

(ओ) शहरी सहकारी बैंक केवाईसी/एएमएल/सीएफटी पर 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र के अनुबंध । में पते के प्रमाण के लिए उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त ग्राहक से, राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से पंजीकृत किराया करार को प्राप्त कर सकते हैं या समकक्ष अन्य कोई पंजीकरण प्राधिकारी स्वीकार करें जिसमें ग्राहक के पते का उल्लेख किया गया हो।

(पी) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने के लिए कदम उठाएँ, और इसका आरंभ ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय करें। इसी तरह प्रत्येक मौजूदा ग्राहक को भी यूसीआईसी किया जाए। यूसीआईसी से ग्राहकों की पहचान करने, उनके द्वारा ली गई सुविधाओं का पता लगाने और समग्र रूप में वित्तीय लेनदेन की निगरानी रखने में शहरी सहकारी बैंकों को मदद मिलेगी तथा ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए बैंक बेहतर दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इससे ग्राहकों को बैंकिंग परिचालन में भी आसानी होगी।

(क्यू) स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलते समय स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी, तथा समस्त पदधारकों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा। जहां तक स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते को ऋण सुविधा से जोड़ने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि बचत खाता खोलते समय पहले ही केवाईसी सत्यापन किया जा चुका होगा, और खाते का परिचालन जारी है और उसी खाते को ऋण सुविधा से जोड़ा जाएगा, अतः सदस्यों या पदधारकों का अलग से केवाईसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

मास्टर परिपत्र
जमा खाता रखना

संयुक्त खाते - 'कोई एक या जीवित नामिति', 'उत्तरवर्ती या जीवित नामिति'
'पूर्ववर्ती या जीवित नामिति', आदि
[संदर्भ पैरा 5.1.1]

एलएसी/19-96-29 28 अगस्त 1980

सभी सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

महोदय/महोदया

संयुक्त खाता 'कोई एक या जीवित नामिति',
'उत्तरवर्ती या जीवित नामिति' 'पूर्ववर्ती या जीवित नामिति' आदि

हाल ही के समय में, अखबारों में बहुत सारे ऐसे पत्र छपे हैं जो बचत बैंक या मीयादी जमा खातों, विशेष रूप से परिपक्वता से पहले भुगतान या एक खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर दावों के निपटान के संबंध में, के संयुक्त खाताधारकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं । इस प्रकार के खातों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा 'कोई एक या जीवित नामिति', 'उत्तरवर्ती या जीवित नामिति', पूर्ववर्ती या जीवित नामिति' आदि शब्दों के वैधानिक प्रभावों के बारे में कुछ उलझन तथा गलतफहमी प्रतीत होती है ।

2. संयुक्त खाते

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से संयुक्त खातों (चालू बचत या जमा) के मामले में उससे संबंधित शर्तों में किसी एक खातेदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित नामिति (यों) को खाते में शेष राशि के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि बैंकों को वैध भुगतान दिवंगत संयुक्त खाता धारक के जीवित नामिति (यों) तथा कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से करना चाहिए । इस प्रकार के मामले में कौन दिवंगत खाताधारक का कानूनी उत्तराधिकारी है के बारे में निश्चित निर्धारण करने में कठिनाई की दृष्टि से बैंकों में यह चलन है कि दावा का निपटान करने से पहले वे वैधानिक आवेदन (दिवंगत खाताधारक की भू-संपत्ति के संबंध में) प्रस्तुत करने का आग्रह करते हैं । चूँकि वैधानिक आवेदन की मंजूरी प्राप्त होने में विलंब और व्यय होता है इसलिए बैंक को

(क) किसी एक या जीवित नामिति, (ख) पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती या जीवित नामिति, (ग) कोई या जीवित नामिति, या जीवित नामिति, आदि को देय जैसी शर्तों पर संयुक्त खाते खोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए । बैंकों में ग्राहक सेवा पर कार्यदल की सिफ़ारिश सं. 6 में इस बिन्दु पर बल दिया गया है ।

3. जीवित नामिति होने के लाभ

यदि जीवित नामिति का लाभ प्रदान किया जाता है तो जीवित नामिति बैंक को एक वैध विमोचन दे सकता है। यदि जीवित उत्तराधिकारी को भुगतान से बैंक को एक वैध विमोचन प्राप्त होता है फिर भी जब तक वह खाते में शेष का एक मात्र लाभार्थी स्वामी या दिवंगत खातेदार का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी न हो, वह कानूनी उत्तराधिकारियों (जिसमें जीवित नामिति भी शामिल हो सकता है) के लिए न्यासी के रूप में ही उस धन को रख सकता है । इस प्रकार, जब तक वह खाते में शेष का एक मात्र स्वामी/दिवंगत खातेदार का एकमात्र

कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तब तक जीवित नामिति का अधिकार केवल बैंक से धन संग्रह करने का अधिकार है। यदि दिवंगत खातेदार के कानूनी उत्तराधिकारी बैंक में शेष धन राशि के लिए दावा करते हैं तो उन्हें सूचित करना चाहिए कि खाते पर लागू संविदा की शर्तों के अनुसार बैंक से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार जीवित नामिति को है तथा जब तक किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा बैंक को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तब तक बैंक को जीवित नामितियों (खाते में जिनके नाम हैं) को भुगतान करने का अधिकार होगा। संक्षेप में स्थिति यह है कि यदि सक्षम न्यायालय कोई आदेश बैंक को इस प्रकार के भुगतान करने से प्रतिबंधित नहीं करता तब तक जीवित नामिति को भुगतान किया जा सकता है।

4. संयुक्त बचत बैंक खाता - कोई एक या जीवित नामिति/ कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति

जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 में बताया गया है, जीवित नामिति बैंक को वैध विमोचन दे सकता है । यदि कानूनी उत्तराधिकारी धन राशि के लिए दावा करते हैं तो बैंक उन्हें सूचित करे कि जब तक उन्हें किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं मिला है और उसे बैंक को नहीं दिया गया है जिसमें जीवित नामिति को भुगतान करने से बैंक को प्रतिबंधित किया गया हो तब तक बैंक को ऐसा करने का अधिकार होगा।

5. संयुक्त सावधि जमा खाता - किसी एक खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर समयपूर्व भुगतान या ऋण

5.1 'कोई एक या जीवित नामिति' या 'कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति' किसी संयुक्त सावधि जमा खाता जो कोई एक या जीवित नामिति/कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति के रूप में खोला गया है, बैंक को प्रायः किसी एक संयुक्त खाता धारक की मृत्यु के बाद जीवित जमाकर्ताओं से समयपूर्व नकदीकरण या सावधि जमा प्राप्ति पर ऋण की मंजूरी की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त होता है। समयपूर्व भुगतान के लिए जीवित जमाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करना उचित होगा यदि (i) जमा की संविदा में परिपक्वता से पूर्व भुगतान करने का विकल्प शामिल हो तथा (ii) मूल जमाकर्ताओं से "कोई एक/कोई या जीवित नामिति का अधिकार" का आदेश प्राप्त हो गया हो । जीवित जमाकर्ताओं से ऋणों के लिए अनुरोधों पर भी विचार विशेष मामलों में किया जा सकता है हालांकि इस प्रकार के ऋणों के मामले में बैंक के सामने एक संभावित जोखिम आ सकता है, यदि जमा राशि का भुगतान परिपक्वता पर किए जाने से पहले दिवंगत जमाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि जमाराशि के लिए प्रभावी दावा करते हैं । इस स्थिति में, बैंक को पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता (ओं) की तलाश करनी होगी । समयपूर्व भुगतान या ऋण की मंजूरी की यह स्थिति किसी संयुक्त खाता (कोई एक या जीवित नामिति/कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति) के संबंध में भी लागू होगी जहां सभी खाताधारक जीवित हों ।

परिचालनात्मक विवेक के रूप में इस संबंध में कि ऋण/समयपूर्व भुगतान जमाकर्ताओं में से कोई एक/कोई को जमा अवधि के दौरान किसी समय किया जा सकता है तथापि एक अनुच्छेद सावधि जमा संविदा अर्थात् खाता खोलने या आवेदन पत्र में नीचे पैरा 6 में दर्शाई गई विधि से शामिल किया जा सकता है ।

5.1 संयुक्त सावधि जमा - पूर्ववर्ती या जीवित नामिति/उत्तरवर्ती या जीवित नामिति आदि इन सावधि जमाओं के मामले में, स्वामी जमाकर्ता (पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती) का इरादा केवल जीवित नामिति को उसकी (जमाकर्ता) मृत्यु की स्थिति में पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। वह (स्वामी जमाकर्ता) अपनी मृत्यु या जमा प्राप्ति की परिपक्वता, जो भी पहले हो, होने तक सभी धन का निपटान करने का अधिकार सभी समय अपने पास रखने की स्थिति में है । इसलिए बैंकों को पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती के अनुरोध पर इस प्रकार की जमा के समयपूर्व भुगतान या उन पर अग्रिम मंजूर करने की अनुमति सावधि जमा प्राप्ति के अन्य पक्ष/पक्षों से सहमति पत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करने के बिना देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहां सावधि जमा

खाता खोलने या आवेदन पत्र में समुचित अनुच्छेद जोड़कर संयुक्त खातेदारों के लिए इस स्थिति को स्पष्ट बनाने को भी तरजीह देना है।

6. सावधि जमा प्राप्ति के लिए आवेदन/खाता खोलने के फॉर्म में विशेष शर्त

बैंक सावधि जमा की संविदा स्थापित करने वाले खाता खोलने वाले फॉर्म/आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित आशय की एक शर्त जोड़ने पर विचार करें :

"बैंक श्री -----से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती/हमारे प्रथम नाम/द्वितीय नाम आदि या हमारे कोई एक या जीवित नामिति, हमारे कोई या जीवित नामितियों का जीवित नामिति, पूर्ण विवेकाधिकार तथा बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यक्षीन, हमारे संयुक्त नामों से जारी होने वाली सावधि जमा प्राप्ति की जमानत पर ऋण/अग्रिम मंजूर करें या (ख) पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती/हममें से पहले नाम वाले को/हममें से दूसरे या जीवित नामिति आदि हममें से किसी नाम वाले को/हममें से किसी को या हमारे जीवित नामितियों या नामिति को जमा की राशि का समयपूर्व भुगतान करें ।"

मास्टर परिपत्र
जमा खाता रखना

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 26क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाता है:-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (i) इस योजना को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 कहा जाएगा।
- (ii) यह योजना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

अध्याय II

2. परिभाषाएं:

इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) (क) 'अधिसूचना' से तात्पर्य है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10);
- (ख) 'बैंक' से तात्पर्य है बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक, बहु राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, समतुल्य नवीन बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;
- (ग) 'निधि' से तात्पर्य है पैराग्राफ 3 के अंतर्गत स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि;
- (घ) 'समिति' से तात्पर्य है पैराग्राफ 8 के अंतर्गत निधि के प्रशासन हेतु गठित समिति;
- (ङ) 'प्रभावी तिथि' से तात्पर्य है जिस तिथि को योजना शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की गई;
- (च) 'डीआईसीजीसी' से तात्पर्य है निक्षेप बीमा निगम अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम;

(छ) 'परिसमापक' से तात्पर्य है उस समय के लिए लागू किसी भी नियम के अंतर्गत नियुक्त बैंक का परिसमापक;

(ज) 'मूल राशि' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 26क के अंतर्गत किसी बैंक द्वारा निधि में अंतरित की गई ब्याज सहित राशि;

(झ) 'देय राशि' से तात्पर्य है बैंक के किसी खाते अथवा किसी जमा में दस वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए दावा प्रस्तुत न किया गया अथवा निष्क्रिय पड़ा हुआ जमा शेष;

(ii) इस योजना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिनको यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, का अर्थ अधिनियम में उनके लिए परिभाषित अर्थ होगा।

3. इसमें निधि और जमाओं की स्थापना:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम की धारा 26क के संदर्भ में एतद्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना नामक एक निधि की स्थापना करता है।

(ii) इस निधि में जमा की जाने वाली राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए विनिर्दिष्ट खाते में बैंकों द्वारा जमा की जानी है।

(iii) इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, इस निधि में जमा की जाने वाली राशि बैंकों के पास रखे गए किसी भी जमा खाते में दस साल अथवा उससे अधिक की अवधि तक परिचालित नहीं किया गया जमा शेष अथवा दस साल अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए कोई भी अदावी राशि होनी चाहिए, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:-

(क) बचत बैंक जमा खाते;

(ख) सावधि अथवा मीयादी जमा खाते;

(ग) संचयी / आवर्ती जमा खाते;

(घ) चालू जमा खाते;

(ङ.) किसी भी रूप के अथवा किसी भी नाम के अन्य जमा खाते;

(च) नकदी ऋण खाते;

(छ) बैंकों द्वारा उचित विनियोजन के पश्चात ऋण खाते;

(ज) साख-पत्र/गारंटी आदि जारी करने अथवा किसी अन्य प्रतिभूति जमा के एवज़ में मार्जिन राशि;

(झ) बकाया तार अंतरण, मेल अन्तरण, मांग पत्र, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक, विविध जमा खाते, वोस्ट्रो खाते, अंतर बैंक समाशोधन समायोजन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

(एनईएफटी) के गैर समायोजित जमा शेष और ऐसे अन्य अस्थायी खाते, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) के लेनदेनों में समाधान न किए गए जमा शेष, आदि;

(ज) यात्री चेक या अन्य समान लिखत, जिनकी परिपक्वता अवधि नहीं है, की बकाया राशियों को छोड़ कर बैंकों द्वारा जारी किसी प्रीपेड कार्ड से अनाहरित शेष राशियां;

(ट) विद्यमान विदेशी विनिमय विनियमावली के अनुसार विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित करने के बाद बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा जमाराशियों की रूपया आमदनी; और

(ठ) ऐसी अन्य राशियां, जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(iv) किसी लिखत अथवा किसी लेनदेन के अंतर्गत देय विदेशी मुद्रा में कोई राशि, जो दस वर्षों अथवा उससे अधिक समय तक अदावी रही हो, उसे निधि में अंतरण के समय उस तिथि को लागू विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा और दावा किए जाने की स्थिति में ऐसे लिखत अथवा लेनदेन के संबंध में निधि द्वारा प्राप्त भारतीय रूपया ही वापस करने के लिए निधि उत्तरदायी होगा।

(v) बैंक उप-पैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण राशि, उस पर उपचित ब्याज सहित निधि को अंतरित कर देगा, जो निधि में अंतरण की तिथि को बैंक द्वारा ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान करना अपेक्षित हो।

(vi) बैंक प्रभावी तिथि के पूर्व के दिन की स्थिति के अनुसार उप-पैरा (iii) और (iv) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सभी खातों में संचयी शेष की गणना करेगा और उप-पैरा (v) में यथाविनिर्दिष्ट उपचित ब्याज के साथ अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर निधि को राशि अंतरित करेगा।

(vii) प्रभावी तिथि से, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उप-पैरा (iii) और (iv) में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली राशि (अर्थात् दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावी जमाशेष) और उप-पैरा (v) में यथाविनिर्दिष्ट उस पर उपचित ब्याज अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को निधि अंतरित करें।

(viii) बैंकिंग कंपनी (अभिलेखों की परिरक्षण अवधि) नियमावली, 1985 अथवा सहकारी बैंक (अभिलेखों की परिरक्षण अवधि) नियमावली 1985 में निहित अनुदेशों के बावजूद, बैंक निधि को जमा किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के संबंध में जमाराशि सहित सभी खातों और लेनदेन के ब्योरे वाले अभिलेख/दस्तावेजों का स्थायी रूप से परिरक्षण करेंगे और जहां निधि से राशि लौटाने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया हो, वहां बैंक निधि द्वारा राशि वापस करने की तिथि से कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे खातों और लेनदेन के संबंध में अभिलेख/दस्तावेजों का परिरक्षण करेंगे।

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे खाते या जमा अथवा लेनदेन के संबंध में सभी संबंधित सूचनाएं मांग सकता है, जिसके लिए राशि लौटाने के लिए बैंक द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया हो।

4. धन वापसी और ब्याज:

(i) ग्राहक/जमाकर्ता से मांग के मामले में जिसकी अदावी राशि/जमा धन निधि को अंतरित किया गया हो, बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज के साथ, यदि लागू हो, भुगतान करेंगे और ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई समान राशि के लिए निधि से धन वापसी के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) दावे पर निधि से देय ब्याज, यदि कोई हो, केवल खाते के जमाशेष को निधि में अंतरण की तिथि से लेकर ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की तिथि तक देय होगा। निधि से वापस प्राप्त की गई राशि के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा, जिसके संबंध में ग्राहक/जमाकर्ता को बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं था।

(iii) निधि को अंतरित मूलधन पर देय ब्याज दर, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) पैरा 3 (iii) (ट) और 3(iv) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अंकित जमा खातों, लिखतों या लेनदेनों की राशि लौटाने के किसी दावे के मामले में, इस पर ध्यान न देते हुए कि बैंकों ने जमाकर्ता/ग्राहक को भारतीय रुपये में भुगतान किया है या विदेशी मुद्रा में, बैंक निधि से केवल भारतीय रुपये में राशि लौटाने का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

(v) यदि जमाकर्ता द्वारा आंशिक राशि लौटाने का दावा किया जाता है, जिसकी अदावी राशि/निष्क्रिय जमा राशि निधि में अंतरित की गई है, तो खाते को पुनर्जीवित और सक्रिय किया जाएगा। ऐसे जमाकर्ता के संबंध में बैंक निधि में अंतरित संपूर्ण राशि, देय ब्याज, यदि हो, सहित के लिए दावा करेगा।

(vi) प्रत्येक कैलेंडर माह में बैंक द्वारा दी गई धन वापसी के लिए अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को निधि से प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) परिसमापन के अधीन किसी बैंक के मामले में परिसमापन कार्यवाही के लंबित होने के दौरान, यदि ऐसे जमाकर्ताओं से कोई दावा प्राप्त होता है जिनकी जमा निधि को अंतरण के समय डीआईसीजीसी द्वारा बीमा रक्षा रही हो, तो निधि परिसमापक को ऐसी राशि के संबंध में डीआईसीजीसी से दावा की जा सकने वाली राशि के बराबर राशि का भुगतान करेगा और निधि को अंतरित राशि के लिए परिसमापक द्वारा भुगतान की गई अन्य सभी राशियों के संबंध में, चाहे डीआईसीजीसी का बीमा हो या न हो, निधि परिसमापक को प्रतिपूर्ति देगा।

5. बैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति:

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप और तरीकों के अनुसार, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण प्रस्तुत करेंगे।

6. लेखा:

(i) निधि के लेखे, आय और व्यय के विवरण सहित, समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीकों के अनुसार रखे जाएंगे।

(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे गए निधि के खाते में जमाराशियां रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का एक भाग होंगी।

(iii) रिज़र्व बैंक निधि के खाते में जमाराशियों का समिति द्वारा निर्धारित तरीकों से निवेश कर सकता है।

(iv) निधि की सभी आय निधि में जमा की जाएंगी।

(v) जमाकर्ताओं की शिक्षा, जागरूकता, हितों और अन्य प्रयोजनों से किए गए व्यय, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 26क (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, निधिके खर्च में शामिल होंगे।

7. लेखों की लेखापरीक्षा:

(i) निधि का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

(ii) रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निधि के लेखों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के सांविधिक या अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

(iii) प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर निधि के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निधि की गतिविधि रिपोर्ट के साथ रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

अध्याय III
समिति का गठन, प्रबंधन और कार्यकलाप

8. समिति का गठन:

- (i) योजना के अनुसार निधि के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक समिति होगी।
- (ii) जैसाकि रिज़र्व बैंक ने तय किया है, समिति में एक पदेन अध्यक्ष तथा छः से अधिक सदस्य नहीं होंगे। समिति के संयोजन का ब्योरा निम्नानुसार है:
- (क) गवर्नर द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का एक उप-गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
- (ख) बैंक द्वारा इस संबंध में नामित रिज़र्व बैंक के दो से अनधिक अधिकारी, जो मुख्य महाप्रबंधक के पद से निम्न स्तर के न हों;
- (ग) बारी-बारी से एक बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा नामित किया जाएगा;
- (घ) रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ति, जिसे बैंकिंग या लेखांकन या किसी ऐसे क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता हो, जिसे रिज़र्व बैंक उपयुक्त समझे;
- (ङ.) रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो बैंकों के ग्राहकों और जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसे ऐसे ग्राहकों और जमाकर्ताओं द्वारा बनाए गए संगठनों या संघों में से लिया जाए और
- (च) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक अधिकारी, जो मुख्य महाप्रबंधक के पद से निम्न स्तर का न हो।
- (iii) समिति के पदेन अध्यक्ष को छोड़कर सभी सदस्य दो वर्षों के लिए और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों के नामांकन होने तक कार्यालयीन पद धारण करेंगे।
- (iv) सेवा-निवृत्त होने वाला सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।
- (v) रिज़र्व बैंक समिति को निधि के प्रशासन में सहायता करने हेतु समिति के लिए सचिवालय तथा आवश्यक बुनियादी ढांचा और श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगा।
- (vi) समिति अपने कार्यों के कुशल और शीघ्र निष्पादन के लिए अपने सदस्यों के बीच एक या अधिक उप-समितियों का गठन कर सकती है, जब भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

(vii) समिति के गठन में कोई त्रुटि या कोई रिक्ति समिति की किसी कार्यवाही या समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को निष्प्रभाव नहीं करेगी।

(viii) उप-पैरा (ii) (घ) और (ii) (ड.) में उल्लिखित सदस्य बैठकों में उनकी उपस्थिति के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पारिश्रमिक के लिए पात्र होंगे।

9. समिति के कार्य और उद्देश्य:

(i) समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार किंतु तिमाही में कम-से-कम एक बार की जाएंगी। प्रत्येक बैठक के लिए कोरम में अध्यक्ष और कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई सदस्य होना आवश्यक है।

(ii) समिति अपने कारोबार के नियम खुद बनाएगी।

(iii) निधि का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होंगे। समिति अधिनियम की धारा 26क (4) में निहित प्रयोजनों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संदर्भ में निर्धारित प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

(iv) समिति व्यय करने तथा निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर गतिविधियों की सूची, मानदंड और क्रियाविधि, आदि बना सकती हैं।

(v) समिति निधि का प्रबंध करेगी तथा निधि से किए जाने वाले सभी व्यय तथा निधि के निवेशों की राशि सहित निधि की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(vi) समिति के व्यय तथा निधि के प्रशासन के लिए अन्य व्यय का प्रभार समिति के निर्णयानुसार निधि को लगाया जाएगा।

(vii) रिज़र्व बैंक को निधि द्वारा जमाकर्ताओं को देय ब्याज दर निर्धारित करने में सुविधा के लिए समिति निधि के आय और व्यय के संबंध में रिज़र्व बैंक को यथा-अपेक्षित जानकारी देगी।

10. बैंकों से मांग करने की शक्तियां:

(i) समिति किसी भी बैंक से निधि को देय राशि की मांग कर सकती है।

(ii) समिति अदावी राशि तथा निष्क्रिय खाते के संबंध में सामान्य या विशिष्ट बैंक से समय-समय पर सूचना मांग सकती है और ऐसे बैंकों/बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वे समिति को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करें।

11. जमाकर्ताओं के हितों का प्रचार और संस्थाओं की मान्यता:

(i) समिति जमाकर्ताओं के हित के लिए, समय-समय पर बैंकों के जमाकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन, जमाकर्ताओं के लिए सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन और इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं और अनुसंधान गतिविधियां प्रस्तावित करने वाली संस्थाओं सहित जमाकर्ता जागरूकता और शिक्षा से संबंधित गतिविधियां करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों या संघों का पंजीकरण/मान्यता देगी।

(ii) समिति द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन या संघ को प्रस्तावित गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर सहायता अनुदान के रूप में एक बार या चरणों में या प्रतिपूर्ति के रूप में, निधि का अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(iii) समिति द्वारा संस्थाओं, संगठनों या संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किये जाएंगे, जैसाकि उप-पैरा (i) में उल्लेख किया गया है।

(iv) समिति निधि प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करने से पहले प्रस्तावों तथा अनुदान और सहायता के अंतिम उपयोग की जांच करेगी।

(v) समिति ऐसी संस्थाओं, संगठनों या संघों को दी गयी निधि के अंतिम उपयोग के संदर्भ में सूचना मांग सकती है या किसी भी प्रकार से सत्यापन कर सकती है।

(vi) समिति निधि के हित में कानूनी कार्रवाई सहित जो भी उचित और आवश्यक समझे, कार्रवाई कर सकती है।

12. योजना के प्रावधानों की व्याख्या:

यदि इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या में कोई भी मुद्दा उठता है, तो मामला भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा और उस पर रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

13. योजना का संशोधन:

रिजर्व बैंक यदि आवश्यक समझे, तो योजना के किसी या सभी प्रावधानों में किसी भी समय शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकता है।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

यदि इस योजना के प्रावधानों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई होती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई कर सकता है या आदेश पारित कर सकता है।

डीईएफ योजना, 2014 – दिशानिर्देश

1. निधि में केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना

हम सूचित करते हैं कि बैंकों द्वारा देय राशियों (योजना में यथापरिभाषित) का विप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की ई-कुबेर की पोर्टल सुविधा (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) के माध्यम से योजना के लिए बनाए गए प्राधिकृत खाते, अर्थात् “डीईएफ अकाउंट 161001006009” में किया जाए। सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि निधि में राशियां विप्रेषित करने के लिए केवल एक प्रविष्टि ही उत्पन्न करें। तदनुसार, योजना के पैरा 3(vi) तथा 3(vii) के अनुसार निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित राशि को माह के अंतिम कार्यदिवस पर बैंकिंग घंटों में ऊपर विनिर्दिष्ट भारिबैंक के पास रखे गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) खाते में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक बैंक को निधि के परिचालनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशिष्ट “बैंक डीईएफ कोड” आवंटित किया गया है, जो अनुबंध I में दिया गया है। डीईएफ खाते में राशि विप्रेषित करने वाले प्रत्येक बैंक को अपना विशिष्ट “बैंक डीईएफ कोड” बताना होगा।

2. निधि में राशि जमा करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(i) स्वयं का खाता – यह सुविधा ई-कुबेर पोर्टल में सेवा के अंतर्गत “डीईएफ सेवा” में उपलब्ध है। जब कोई बैंक अपनी स्वयं की देय राशि इस पोर्टल में जमा कर रहा हो, तो उसे “बैंक डीईएफ कोड” फील्ड में अपना डीईएफ कोड (बैंक का विनिर्दिष्ट डीईएफ कोड अनुबंध I में दिया गया है) देना चाहिए तथा जमाराशियों का विस्तृत ब्योरा (खातों की संख्या और राशि), जैसे ब्याज सहित, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट (अर्थात् जमाराशियों के अलावा अन्य कोई अदावी राशि, जिसे योजना के पैरा 3 (iii) में परिभाषित किया गया है) पोर्टल की उपर्युक्त सेवा में उपलब्ध कराए गए फील्ड में प्रस्तुत करनी चाहिए। अन्य क्रेडिट ब्याज रहित होंगे।

(ii) सदस्यों का खाता – यदि कोई बैंक संपर्क करने वाले सदस्य बैंकों/अन्य बैंकों (ऐसे बैंक, जिनका आरबीआई के पास चालू खाता नहीं है) की ऐसी देय राशियों को निधि में जमा करने के लिए राशियों का विप्रेषण कर रहा हो, तो बैंक को सभी बैंकों की राशियों का समेकन नहीं करना चाहिए, बल्कि निधि में जमा की जाने वाली राशि को बैंक-वार अलग से विप्रेषित करना चाहिए। ई-कुबेर पोर्टल में “डीईएफ सेवा” के अंतर्गत उपलब्ध “बैंक डीईएफ कोड” फील्ड में बैंक द्वारा सदस्य/अन्य बैंक पोर्टल का डीईएफ कोड दिया जाना चाहिए, जिसकी राशि अंतरित की जा रही है। साथ ही, जमाराशियों का विस्तृत ब्योरा (खातों की संख्या और राशि), जैसे ब्याज सहित जमाराशियां, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट इस संबंध में उपलब्ध कराए गए फील्ड में भरा जाना चाहिए। अन्य क्रेडिट ब्याज रहित होंगे। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि निधि में से सदस्यों/अन्य बैंकों के दावों/धन वापसी का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक प्रायोजक बैंक के खाते में क्रेडिट जमा करेगा, जहां से सदस्य बैंकों/अन्य बैंकों को क्रेडिट मिलेगा।

3. निर्धारित विवरणियां

योजना के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंक निर्धारित प्रारूप और विधि से भारतीय रिज़र्व बैंक को **विधिवत् लेखापरीक्षित** विवरणियां प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार विधिवत् लेखापरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत करें:-

(i) फॉर्म I- बैंक को राशि निधि में **अंतरित करने की तारीख** को एक समेकित विवरणी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें जमा की गई कुल राशि (अंतरित अन्य क्रेडिट की राशि के साथ-साथ ब्याज सहित/ब्याज रहित जमाराशियों को अलग-अलग दर्शाते हुए) दर्शाई जाए। निधि में अंतरित प्रत्येक श्रृंखला के लिए बैंकों को पूर्ण ब्योरा रखना होगा, जैसे ग्राहक का नाम, खाता संख्या, उपचित ब्याज सहित निधि में अंतरित राशि, निधि में अंतरण की तारीख तथा अन्य संबंधित दस्तावेज आदि। बैंकों द्वारा ये ब्योरे/दस्तावेज श्रृंखला-वार रखे जाएंगे।

(ii) फॉर्म II- निधि में अंतरित कुल राशि के लिए एक **मासिक** विवरणी प्रस्तुत की जाएगी (ब्याज सहित जमाराशियां, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट दर्शाते हुए)। विवरणी को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।

(iii) फॉर्म III- योजना के पैरा 4 (i) के अनुसार जिस ग्राहक/जमाकर्ता की अदावी राशि निधि में अंतरित की गई है, उससे मांग प्राप्त होने के मामले में बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज, यदि लागू हो, सहित राशि की चुकौती करेंगे तथा ग्राहक/जमाकर्ता को अदा की गई राशि के समतुल्य राशि की वापसी के लिए निधि में दावा पेश करेंगे। जमाकर्ता, जिसकी अदावी राशि/निष्क्रिय जमाराशि को निधि में अंतरित किया गया है, द्वारा आंशिक राशि लौटाने के किसी दावे के मामले में बैंक निधि से ऐसे जमाकर्ता के संबंध में निधि में अंतरित संपूर्ण राशि, उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित के लिए दावा करेगा। बैंक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह में धनवापसी की राशि का ब्योरा फॉर्म III में परवर्ती माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फॉर्म III में ग्राहक/जमाकर्ता का नाम, निधि में राशि अंतरित किए जाने की तारीख, ग्राहक को राशि अदा करने की तारीख, निधि में से दावाकृत ब्याज की दर आदि जैसे ब्योरे दिए जाने चाहिए। दावा जिस माह से संबंधित हो, उसके अगले महीने की 15 तारीख तक विवरणी प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक उस पर कार्रवाई करके महीने के अंतिम कार्य-दिवस पर राशि लौटा सके। दावे से संबंधित कोई भी विवरणी अगले महीने की 15 तारीख के बाद प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई उसके अगले महीने में की जाएगी।

(iv) फॉर्म IV – बैंक द्वारा निधि से किए गए दावों के संबंध में एक समेकित मासिक विवरणी अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए।

(v) फॉर्म V- वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का मदवार ब्योरा दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

हम सूचित करते हैं कि बैंक ऊपर बताई गई आवश्यकता के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्य रूप से उक्त विवरणियां प्रस्तुत करें। यदि कोई सूचना नहीं हो तो "कुछ नहीं" विवरणी प्रस्तुत करें। उक्त विवरणियों के प्रारूप संलग्न हैं।

4. लेखापरीक्षा

बैंक को ब्याज सहित जमाराशियों के संबंध में निधि में राशि अंतरित करने की तारीख को समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार ब्योरा रखना होगा, जिसमें अद्यतन उपचित ब्याज का भुगतान शामिल हो, तथा जिसे निधि में राशि अंतरित करने की तारीख तक जमाकर्ता के खाते में जमा किया गया हो। निधि में अंतरित ब्याज-रहित जमाराशियों तथा अन्य क्रेडिट के मामले में विधिवत् लेखापरीक्षित ग्राहकवार ब्योरा बैंक के पास रखा जाएगा। समवर्ती लेखापरीक्षकों को भी सत्यापन करके प्रमाणित करना चाहिए कि बैंक द्वारा विवरणियों का सही संकलन बैंक की बहियों के अनुसार किया गया है तथा भारिबैंक को प्रस्तुत मासिक और वार्षिक विवरणियों में सही रूप में दर्शाया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा के समय उक्त विवरणियों का सत्यापन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी किया जाना चाहिए तथा उनसे एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि बैंक द्वारा उक्त विवरणियों का सही संकलन किया गया।

5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी

बैंकों को सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल के उस संकल्प की सत्य –प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, जिसमें प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में पदनामित दो अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हो, जो बैंक की ओर से निधि से दावों/धन-वापसी के लिए खाते को संयुक्त रूप से परिचालित करेंगे। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर का अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकन किया जाए। बोर्ड के संकल्प के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर अनुबंध II के अनुसार प्रेषित किए जाएं।

6. लेखे पर टिप्पणियों में प्रकटीकरण

ऐसी सभी अदावी देयताओं (जहां देय राशियां डीईएफ को अंतरित की गई हैं) को वार्षिक वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के अंतर्गत “आकस्मिक देयता – अन्य, ऐसी मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है” के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे डीईएफ में अंतरित राशियों का प्रकटन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत करें।

(राशि करोड़ रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशियां		
घटाएं : डीईएफ द्वारा दावों के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशियां		
डीईएफ में अंतरित राशियों का अंतिम शेष		

9. लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित उक्त विवरणियों की मूल प्रति मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि कक्ष, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रेषित की जाए और साथ ही इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन प्रति को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाए। ऊपर पैरा 6 में

उल्लिखित सांविधिक लेखापरीक्षकों का वार्षिक प्रमाणपत्र भी पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन प्रति के साथ उक्त पते पर भेजा जाए।

फार्म ।

(रिजर्व बैंक को निधियाँ अंतरित किए जाने की तारीख पर)

निधि में राशि अंतरित किए जाने की तारीख पर जमा की गई कुल राशि दर्शाते हुए समेकित विवरणी प्रस्तुत की जाए (इसमें ब्याज सहित / ब्याज रहित जमाराशियों की राशि तथा अंतरित की गई अन्य क्रेडिट्स की राशि अलग-अलग दर्शाई जाए)

बैंक का नाम -----

आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएफ कूट-----

यदि प्रायोजक बैंक के माध्यम से राशि अंतरित की गई है तो

प्रायोजक बैंक का नाम -----

माह _____ वर्ष _____

(राशि रुपयों में)

विवरण	ब्याज सहित जमाराशियाँ		ब्याज रहित जमाराशियाँ		अन्य क्रेडिट्स (ब्याज रहित)		जोड़	
	(क)		(ख)		(ग)		(घ) = (क) + (ख) + (ग)	
	खातों की संख्या	अंतरित राशि	खातों की संख्या	अंतरित राशि	खातों की संख्या	अंतरित राशि	खातों की संख्या	निधि में अंतरित कुल राशि

नाम :

हस्ताक्षर :

अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

फोन नंबर:

स्थान :

तारीख :

प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए ब्योरे बैंक के अभिलेखों के अनुसार सही हैं तथा सत्यापित किए गए हैं और इनको सही पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

उपर्युक्त सूचना पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन प्रति के रूप में [ई-मेल](#) द्वारा को या फैक्स नंबर 022-22700773 पर भिजवाई जाए।

फार्म II

भारत में ऐसी अदावी जमाराशियों/ क्रेडिट्स /खातों से संबंधित मासिक विवरणी जिनके संबंध में विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर 10 वर्ष या इससे अधिक के लिए कोई परिचालन नहीं हुआ है / कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और जिनको डीईएफ खाते में अंतरित किया गया है (रिजर्व बैंक को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)।

बैंक का नाम _____

आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएफ कूट-----

माह _____ वर्ष _____

(राशि रूप्यों में)

क्रम सं.	विवरण	ब्याज सहित जमाराशियाँ		ब्याज रहित जमाराशियाँ		अन्य क्रेडिट्स (ब्याज रहित)		जोड़	
		(क)		(ख)		(ग)		(घ) = (क)+ (ख) + (ग)	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	माह की शुरुआत में आगे लाया गया शेष								
2	पिछले माह की विवरणी में गलती से छूट गए तथा इस माह के दौरान अंतरित किए गए खातों की संख्या और राशि, यदि कोई हो								
3	इस माह के दौरान निधि में अंतरित खातों की संख्या और देय राशि								
4	पिछले महीने के दौरान दावाकृत खाते और राशि तथा इस माह के दौरान निधि से किया गया भुगतान								
5	माह के दौरान अंतरित की गई कुल राशि में से निधि से भुगतान की राशि को घटाएं (2+3- 4)								
6	_____20____को समाप्त माह के अंत में निधि में मौजूद कुल राशि								

हस्ताक्षर:

नाम:

अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान: तारीख:

प्रमाणपत्र – ऊपर दिए गए ब्योरे बैंक के अभिलेखों के अनुसार सही हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

फार्म III

डीईएफ से धनवापसी के दावे प्रस्तुत किए जाने संबंधी मासिक विवरणी
(धनवापसी दावे के साथ, जिस माह से ऐसा दावा संबंधित है, के अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)

1. बैंक का नाम .2 -----आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएफ कूट-----

3. माह-----20 --- के दौरान प्रस्तुत दावों के जमाकर्ता/ग्राहकवार ब्योरे
(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	जमाकर्ता /ग्राहक का नाम	खाते का प्रकार यथा- ब्याज सहित / ब्याज रहित अथवा अन्य क्रेडिट्स	जमाकर्ता/ग्राहक के संबंध में डीईएफ को मूल रूप से अंतरित राशि	डीईएफ को अंतरण की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)	जमाकर्ता /ग्राहक को भुगतान की गई राशि	जमाकर्ता/ग्राहक को मद संख्या (6) पर दर्शाई राशि का भुगतान किए जाने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)	निधि से धन वापसी के लिए प्रस्तुत दावे तथा डीईएफ को अंतरित राशि का अंतर (6-4)	विभिन्न अवधियों के लिए ब्याज दरें जिनके लिए निधि को दावा प्रस्तुत किया गया	अवधि जिसके लिए निधि द्वारा डीईएफ को अंतरित ब्याज सहित अदावी जमा राशियाँ पर ब्याज का भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			जोड़		जोड़		जोड़		
खातों की कुल संख्या									

निधि को अंतरित ब्याज रहित जमा राशियाँ तथा अन्य क्रेडिट्स के संबंध में कालम 4 की राशि कालम 6 की राशि के बराबर होगी। इस प्रकार इन खातों के लिए कालम (8), (9) और (10) शून्य होंगे।

टिप्पणी- ऐसे जमाकर्ता जिसकी अदावी/अपरिचालित जमा राशियाँ निधि को अंतरित की गई हैं, द्वारा यदि आंशिक राशि की धनवापसी हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को ऐसे जमाकर्ता के संबंध में निधि को अंतरित सम्पूर्ण राशि तथा इस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी हेतु दावा निधि को प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे पहले न तो किए गए हैं और न ही डीईएफ निधि से कोई राशि प्राप्त हुई है।

<p><u>हस्ताक्षर :</u></p> <p><u>पहले हस्ताक्षरकर्ता का नाम :</u></p> <p><u>अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):</u></p>	<p><u>हस्ताक्षर :</u></p> <p><u>दूसरे हस्ताक्षरकर्ता का नाम :</u></p> <p><u>अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):</u></p>
--	---

तारीख

प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए ब्योरे बैंक के अभिलेखों के अनुसार सही हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता

फार्म IV

माह के दौरान प्रस्तुत दावों के लिए समेकित विवरणी
(रिजर्व बैंक को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे	
		खातों की संख्या	रुपयों में
1	बैंक का नाम आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएएफ कूट-----		
2	महीने के दौरान किए गए दावों का ब्योरा क) ब्याज सहित दावा i) डीईएएफ खाते में अंतरित राशि से ii) निधि से किया गया ब्याज का दावा iii) सकल दावा (i + ii) ख) ब्याज रहित दावा i) डीईएएफ खाते में अंतरित राशि से		
3	निधि से किया गया कुल दावा (2.(क) (iii) +2 (ख) (i))	*	@

* खातों की कुल संख्या का मिलान फार्म III के कालम संख्या 1 के जोड़ से होना चाहिए।

@ राशि का मिलान भी फार्म III के कालम संख्या 6 के जोड़ से होना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे पहले न तो किए गए हैं और न ही डीईएएफ निधि से कोई राशि प्राप्त हुई है।

नाम:

अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख:

प्रमाणपत्र - ऊपर प्रस्तुत समेकित दावा उन जमाकर्ता/ग्राहकों से संबंधित है जिनके ब्योरे फार्म III में दिए गए हैं। दावों के ब्योरे वास्तविक हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

फार्म V

अदावी जमाराशियों की स्थिति पर वार्षिक विवरणी
(कैलेण्डर वर्ष समाप्त होने से तीस दिन की अवधि के भीतर)

बैंक का नाम _____

आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएफ कूट-----

(राशि रूप्यों में)

खातों का प्रकार	विगत वर्ष		चालू वर्ष	
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष
चालू जमा खाते				
बचत बैंक जमा खाते				
सावधि या मीयादी जमा खाते				
किसी भी स्वरूप या किसी भी नाम में अन्य जमा खाते				
नकदी ऋण खातों में जमा शेष				
साख पत्र / गारंटी आदि जारी किए जाने के बदले मार्जिन मनी या कोई जमानती जमाराशि				
बकाया तार अंतरण				
मेल अंतरण				
मांग ड्राफ्ट				
भुगतान आदेश				
बैंकर्स चेक				
विविध जमा खाते				
वोस्ट्रो खाते				
अंतर-बैंक समाशोधन क्रेडिट				
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के गैर समायोजित जमा शेष				
ऐसे अन्य अस्थायी खाते क्रेडिट				
स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लेनदेनों के बाबत मिलान न किए जा सके जमा शेष				
बैंकों द्वारा जारी किए गए किसी प्रीपेड कार्ड के लिए अनाहरित शेष राशियां ¹				
अन्य*				
कुल				

*कृपया ब्योरे दें।

हस्ताक्षर:

नाम:

अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान:

तारीख:

प्रमाणपत्र - उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

नमूना हस्ताक्षर कार्ड*

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि

बैंक का नाम-----

बैंक की डीईएएफ कूट संख्या -----

खाता संख्या -----	
यदि बैंक का जमा लेखा विभाग में खाता है तो उसी का उल्लेख किया जाए यदि ऐसा नहीं है तो, प्रायोजक बैंक का नाम और प्रायोजक बैंक में खोले गए खाते की संख्या दर्शाई जाए	
प्राधिकृत अधिकारी (उपनाम) (पहला नाम)	
1.	2.
पदनाम	
1.	2.
पहले अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर 1)	2)
दूसरे अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर 1)	2)
सत्यापित किया गया	
(अध्यक्ष/ कार्यपालक निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी) (हस्ताक्षर बैंक की मुहर के साथ)	
(खाताधारक का पता और फोन नंबर)	पंजीकरण संख्या
	कृते भारतीय रिजर्व बैंक प्रबन्धक

*चूंकि डीईएएफ खाते का परिचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा, अतः सभी बैंकों को दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर कार्ड प्रस्तुत करने होंगे।

परशिष्ट

मास्टर परिपत्र
जमा खाते रखना

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.69/14.01.062/2013-14	10.6.2014	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – पते के प्रमाण संबंधी स्पष्टीकरण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (श.स.बैं)
2.	डीबीओडी.सं.डीईएफ कक्ष.बीसी.114/30.01.002/2013-14	27.05.2014	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26क – परिचालन संबंधी दिशानिर्देश
3.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.62/13.03.000/2013-14	15.05.2014	अपरिचालित खातों में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखने पर दंडात्मक प्रभार लगाना
4.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.61/13.01.000/2013-14	12.05.2014	नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना
5.	डीबीओडी.सं.डीईएफकक्ष.बीसी.101/30.01.002/2013-14	21.03.2014	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26क
6.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.44/13.01.002/2013-14	21.01.2014	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा स्वपरायणता(आटिज्म), मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र
7.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.35/13.01.000/2013-14	31.10.2013	वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
8.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.34/13.01.000/2013-14	30.10.2013	उत्तराखंड आपदा में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
9.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.23/13.01.000/2013-14	30.09.2013	शहरी सहकारी बैंकों में अदावी जमाराशियां / निष्क्रिय खाते- छात्रवृत्ति की राशि क्रेडिट करने के लिए तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को क्रेडिट करने के लिए खोले गए कतिपय बचत बैंक खातों का ट्रीटमेंट
10.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.21/14.01.062/2013-14	27.09.2013	विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
11.	शबैवि.बीपीडी(एडी)परि.सं.4/14.01.062/2013-14	10.09.2013	भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र- बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी)

			सहकारी बैंक
12.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.10/13.01.000/2013-14	05.09.2013	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण –दावा फॉर्म बैंक के वेबसाईट पर रखा जाना
13.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.11/14.01.062/2013-14	05.09.2013	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड’/‘धनशोधन निवारण मानक’/ ‘आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध’ / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व — प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – स्वयं सेवा समूह के लिए मानदंड सरलीकृत करना
14.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.2/14.01.062/2013-14	31.07.2013	अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड /धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व- केवाईसी के अंतर्गत आवधिक रूप से अद्यतन संबंधी मानदंडों का सरलकृत किया जाना
15.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.46/14.01.062/2012-13	03.04.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) /धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व - स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण करना- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
16.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.39/14.01.062/2012-13	07.03.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व-प्राथमिक(शहरी)सहकारी बैंक
17.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.37/14.01.062/2012-13	25.02.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
18.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.32/13.01.000/2012-13	21.01.2013	मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण – शहरी सहकारी बैंक
19.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.28/14.01.062/2012-13	19.12.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व
20.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.25/13.01.000/2012-13	3.12.2012	सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 – स्पष्टीकरण

21.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.14/14.01.062/2012-13	09.10.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) – प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
22.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.8/14.01.062/2012-13	13.09.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
23.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.6/13.01.000/2012-13	30.08.2012	"दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी" अथवा "दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी" अधिदेश के साथ बैंकों में मीयादी/सावधि जमा की अवधिपूर्ण चुकौती - स्पष्टीकरण
24.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.5/13.01.000/2012-13	17.08.2012	वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
25.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.3/14.01.062/2012-13	10.07.2012	एक ही बैंक की शाखाओं के बीच जमा खातों का अंतरण
26.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)सं.34/12.05.001/2011-12	11.05.2012	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
27.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)सं.11/13.01.000/2011-12	17.11.2011	बैंकों में मीयादी/सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान
28.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)सं.8/12.05.001/2011-12	09.11.2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआइ)द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता तथा आधार संख्या निहित है
29.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)सं.37/12.05.001/2010-11	18.02.2011	अपने ग्राहक को जलिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
30.	शबैवि.केका बीपीडी.सं.35/12.05.001/2010-11	10.01.2011	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
31.	शबैवि.बीपीडी.केका.सं.33/12.05.001/2010-11	31.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा 'धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति'
32.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)सं.10/12.05.001/2010-11	23.08.2010	अपने ग्राहक को जलिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
33.	शबैवि.बीपीडी.केका.एनएसबी1परि.सं.38/12.03.000/2009-10	23.12.2009	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा निर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठान के खातें
34.	शबैवि.केका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.22/12.05.001/2009-10	16.11.2009	बैंक द्वारा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु

			सुविधा तथा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु वापस लौटाना - शहरी सहकारी बैंक
35.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.1913.01.000/2009-10	09.11.2009	शहरी सहकारी बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा निष्क्रिय खाते
36.	शबैवि.बीपीडी.केका.एनएसबी 1परि.सं.11/12.03.000/2009-10	29.09.2009	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा निर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठान के खातें
37.	शबैवि.केका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.9/12.05.001/2009-10	16.09.2009	बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते खोलने तथा उनके परिचालन में केवायसी /एएमएल दिशानिर्देशों का पालन
38.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.56/09.39.000/2008-09	12.03.2009	सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति-सूचना तथा पासबुक /मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम दर्शाना
39.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.9/13.01.000/2008-09	01.09.2008	बैंकों में अदावी जमाराशिया तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते - शहरी सहकारी बैंक
40.	डीपीएसएस सं 2096/04.04.007/07-08	20.06.2008	बडी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्टॉनिक माध्यम से भुगतान
41.	45/13.01.000/2007-08	12.05.2008	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
42.	डीपीएसएस सं 1407/ 02.10.02/07-08	10.03.2008	बडी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक्टॉनिक माध्यम से भुगतान
43.	शबैवि.केका.बीपीडी.32/09.39.000/2007-08	25.02.2008	'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल)मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
44.	शबैवि.केका.बीपीडी.27/12.05.001 /2007-08	4.12.2007	जिला न्यायालयों द्वारा नियुक्त अभिभावक
45.	21/ 13.01.000/2007-08	15.11.2007	निश्चित अवरुद्धता वाली जमाराशि योजनाएं
46.	2/09.18.300/ 2007-08	4.07.2007	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन
47.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.36/13.01.2006-07	19.04.2007	एकल जमा खाते में नामांकन की सुविधा - शहरी सहकारी बैंक
48.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.46/16.12.000/2006-07	19.04.2007	एनआरई / एनआरओ खाते रखने के लिए मानदंड - शहरी सहकारी बैंक
49.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.19/13.01.00/2005-06	24.11.2005	वित्तीय समावेशन - शहरी सहकारी बैंक
50.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.4/13.01.00/2005-06	14.7.2005	दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान - सरल प्रक्रिया - शहरी सहकारी बैंक
51.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.7/09.11.01/2004-05	29.7.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
52.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.14/09.11.01/2004-05	24.8.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
53.	शबैवि.केका.बीआर.29/16.48.00/2000-01	29.01.2001	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/ दावाकर्ताओं को भुगतान
54.	शबैवि.बीआर.15/16.48.00/2000-01	21.11.2000	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/ दावाकर्ताओं को भुगतान

55.	शबैवि.कैका.बीएसडी.1/11/12.05.00/2000-01	15.11.2000	जमा खाता खोलना - औपचारिकताएं पूरी करना
56.	शबैवि.बीआर.परि 3/16.48.00/2000-01	25.08.2000	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/दावाकर्ताओं को भुगतान
57.	शबैवि.सं.बीएसडी.1/12/12.05.00/99-2000	28.10.1999	विदेशी सहायता (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहायता की प्राप्ति
58.	शबैवि.सं.बीआर32/16.04.00/98-99	28.06.1999	जमा खातों में नामांकन सुविधा
59.	शबैवि.सं.बीएसडी.1/पीसीबी.18/12.05.01/98-99	30.01.1999	विदेशी सहायता (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहायता की प्राप्ति
60.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.12/13.01.00/98-99	21.12.1998	बूढ़े/बीमार/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन
61.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.23/09.50.00/97-98	28.11.1997	चेक बुक जारी करना
62.	शबैवि.सं.बीएसडी.1/पीसीबी.09/12.05.00/97-98	18.09.1997	फर्जी/बेनामी जमा खाते खोलना तथा चोरी/जालसाजी के लिखतों आदि की वसूली
63.	शबैवि.सं.आई तथा एल.49/12.05.00/95-96	14.03.1996	बैंकों में धोखाधड़ियां - विस्तार पटल
64.	शबैवि.सं.आई तथा एल.51/12.05.00/95-96	14.03.1996	फर्जी खातों के माध्यम से बैंकों में धोखाधड़ियां
65.	शबैवि.सं.आई तथा एल.पीसीबी.44/12.05.00/95-96	22.02.1996	जमा खातों की निगरानी करना
66.	शबैवि.सं. आई तथा एल. पीसीबी. 2136/12.05.00/95-96	05.01.1996	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति
67.	शबैवि.सं.आई तथा एल.पीसीबी.28/12.05.00/95-96	10.11.1995	जमा खातों की निगरानी करना
68.	शबैवि.सं.आई तथा एल.पीसीबी.65/12.05.10/94-95	28.06.1995	बैंकों में धोखाधड़ियां - जमा खातों की निगरानी करना
69.	शबैवि.सं.आई तथा एल (पीसीबी) 38/12.15.00/94-95	10.01.1995	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पर प्राक्कलन समिति की 34 वी रिपोर्ट - धोखाधड़ियों की रोकथाम
70.	शबैवि.सं.आई तथा एल.27/12.05.00/94-95	31.10.1994	धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति - जमा कर्ताओं का फोटोग्राफ लेना
71.	शबैवि.सं.आई एण्ड एल.पीसीबी. 24/12.05.00/94-95	19.10.1994	भुगतान लिखतों का फर्जी नकदीकरण
72.	शबैवि.सं.आईएवंएल.74/12.05.00/93-94	27.05.1994	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार में संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति
73.	शबैवि.सं.36/12.05.00/93-94	08.12.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति - प्राथमिक सहकारी बैंक
74.	शबैवि.डीसी.1/वी.1/89-90	02.01.1990	संरक्षक के रूप में माताओं के साथ अल्पवयस्कों के नाम पर बैंक खाते खोलना
75.	शबैवि.सं.बीआर.695/बी.1/88-89	19.12.1988	जीवित नामितियों/दावाकर्ताओं को दिवंगत ग्राहकों के खातों

			में बकायों का भुगतान - उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की प्रस्तुति का आग्रह न करना - अन्य आस्तियों को बढ़ाना
76.	संदर्भ.शर्बेवि.सं.डीसी.18/वी.1/88-89	10.08.1988	निजी संगठनों द्वारा शुरू की गई जमा संग्रह योजनाएं - बैंकों द्वारा लॉटरी टिकटों की बिक्री
77.	शर्बेवि.सं.बीआर.483/बी 1/87-88	21.10.1987	जीवित नामितियों/दावाकर्ताओं को दिवंगत ग्राहकों के खातों में बकाया का भुगतान
78.	शर्बेवि.सं.आई एवं एल.88/जे.1/87-88	08.06.1987	बैंकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिक समन्वय से संबंधित मामले
79.	शर्बेवि. डीसी.19/वी.1/86-87	03.09.1986	अनियमित निकायों/प्राइवेट लि. कंपनियों द्वारा "बैंक गारंटी" के साथ जमा की स्वीकृति
80.	शर्बेवि.बीआर.13/ए6/86-87	11.08.1986	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित 45 जेड ए से 45 जेड एफ तक की धाराएं - सहकारी बैंक नामांकन नियम, 1985 - नामांकन सुविधाएं
81.	शर्बेवि.सं.आई एवं एल.110/जे.1/85-86	02.06.1986	जमा खाते - खोलना
82.	शर्बेवि.बीआर.764ए/ए-6/84-85	29.03.1985	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983-84 - शेष उपबंधों को लागू करना
83.	शर्बेवि.(डीसी)1148/वी.1/84-85	22.02.1985	संरक्षक के रूप में माता के साथ अल्पवयस्क के नाम से बैंक खाता खोलना
84.	शर्बेवि.बीआर.16/ए.6/84-85	09.07.1984	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
85.	डीबीओडी.शर्बेवि.(आईएवंएल) सं. 2584/जे.1/82-83	22.03.1983	प्राथमिक सहकारी बैंकों में विभिन्न जमा खाते खोलना - परिचय
86.	एसीडी.आईडी. (पी) 6428/जे.1/80-81	17.02.1981	संयुक्त खाता 'कोई एक या जीवित नामिति' 'उत्तरवर्ती या जीवित नामिति' 'पूर्ववर्ती या जीवित नामिति' आदि
87.	एसीडी.आईडी.4998/जे.17/76-77	09.12.1976	जमा खाते : परिचय
88.	एसीडी.आईएनएसपी.5173/एफ.15/70-71	17.06.1971	अदावाकृत जमाराशियों के लिए रजिस्टर
89.	एसीडी.बीआर.1454/ए.1/67-68	08.04.1968	क्रेडिट सोसायटी या सहकारी बैंक के अलावा किसी सहकारी सोसायटी द्वारा बैंकिंग विधियों (सहकारी सोसायटीयों पर यथालागु) के प्रारंभ से पहले स्वीकार की गई मीयादी जमा राशियों की स्थिति

अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे जमा खाते रखने से संबंधित अनुदेश भी मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए हैं

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शर्बेवि.बीएसडी-1/8/12.05.00/2000-2001	09.11.2000	धोखाधड़ियां - रोकथाम के उपाय
2.	शर्बेवि.21/12:15:00/93-94	21.09.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक